नशे और मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश

संदेश

प्रिय नागरिकों,

हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के लिए मादक द्रव्यों के दुरुपयोग पर तैयार की गई इस महत्वपूर्ण पुस्तक का लोकार्पण करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह पुस्तक हमारे समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो न केवल पंचायत प्रतिनिधियों को इस विषय पर जागरूक करेगी, बल्कि पूरे समाज में नशे के खिलाफ एक मजबूत संदेश पंहुचाने में सहायक होगी। मादक द्रव्यों का सेवन हमारे युवाओं और समाज के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, और इसे रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण स्तर पर जागरूकता फैलाकर ही हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं और समाज को इस बुराई से मुक्त कर सकते हैं।

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के लिए एक सशक्त माध्यम बनेगी, जिससे वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस समस्या के प्रति जन-जागरण कर सकें।

मैं सभी पंचायत प्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस पुस्तक का अध्ययन करें और इसमें दिए गए सुझावों व मार्गदर्शन का अनुसरण करें, ताकि हम हिमाचल प्रदेश को नशामुक्त प्रदेश बना सकें। समाज के हर वर्ग के सहयोग से हम इस गंभीर चुनौती को सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम होंगे।

धन्यवाद!

राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश

संदेश

प्रिय नागरिकों,

हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के लिए मादक द्रव्यों के दुरुपयोग पर पंचायती राज विभाग द्वारा पुस्तक के रूप में तैयार की गई इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। यह पुस्तक हमारे समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है, जो पंचायत प्रतिनिधियों सहित समाज के हर वर्ग को इस गंभीर समस्या के प्रति जागरूक करेगी। मादक द्रव्यों का सेवन न केवल हमारे युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बना रहा है, बल्कि यह पूरे समाज की उन्नति में एक बड़ा अवरोधक बन रहा है। इस स्थिति का समाधान पंचायत स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और जनसहभागिता सुनिश्चित करने से ही संभव है।

मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तक पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी। पंचायतें ग्रामीण समाज के निकटतम संस्थान हैं और उनकी भूमिका इस समस्या को जड़ से समाप्त करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है।

मैं सभी पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ कि वे इस पुस्तक में दिए गए सुझावों और दिशानिर्देशों का गंभीरता से अध्ययन करें और अपने क्षेत्र में नशे के खिलाफ एक मजबूत अभियान चलाएं। हम सब मिलकर ही हिमाचल प्रदेश को नशामुक्त बनाने का संकल्प ले सकते हैं। समाज के हर वर्ग का सक्रिय सहयोग इस दिशा में अनिवार्य है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगे और एक स्वस्थ, नशामुक्त हिमाचल प्रदेश का निर्माण करेंगे।

धन्यवाद!

मुख्यमंत्री,

हिमाचल प्रदेश

संदेश

प्रिय साथियों,

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं के लिए मादक द्रव्यों के दुरुपयोग पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक को पठन सामग्री के रूप में तैयार किया गया है। यह पुस्तक न केवल जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सशक्त माध्यम बनेगी बल्कि मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए एक सशक्त कदम भी साबित होगी। हमारी पंचायतों का समाज के विकास और युवाओं के भविष्य को संवारने में अहम योगदान है। नशे की लत हमारे समाज और विशेषकर युवाओं के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। ऐसे में पंचायती राज संस्थाओं का दायित्व और भी बढ़ जाता है कि वे अपने क्षेत्र में इस समस्या से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करें।

इस पुस्तक का उद्देश्य है कि सभी पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम स्तरीय संगठनों को इस चुनौती का सामना करने के लिए जागरूक किया जाए, ताकि हम अपने गांवों और शहरों को नशामुक्त बना सकें।

मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तक सभी पंचायतों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और इसे प्रत्येक पंचायत में सदस्य गहनता से पढ़ेंगे ताकि हम मिलकर नशामुक्त समाज की ओर कदम बढ़ा सकें। पंचायती राज संस्थाओं का इस दिशा में सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर इस दिशा में सकारात्मक परिवर्तन ला सकेंगे।

धन्यवाद!

पंचायती राज मंत्री,
हिमाचल प्रदेश सरकार

संदेश

सादर नमस्कार!

मादक पदार्थों का दुरुपयोग एक गंभीर सामाजिक समस्या बनती जा रही है जो हमारे युवाओं और समाज को गहरे रूप से प्रभावित कर रही है। इससे न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पारिवारिक ढांचा प्रभावित हो रहा है बल्कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि और विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, पंचायती राज विभाग ने मादक पदार्थों के सेवन पर विशेष पुस्तक तैयार की है। यह पुस्तक पंचायतों को इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने और इससे निपटने के उपायों को समझाने में मदद करेगी। पुस्तक में नशे की समस्या, उसके प्रभाव और समाधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसे ग्रामीण स्तर पर सरलता से लागू किया जा सकता है।

मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस पुस्तक का उपयोग अपने गांवों में नशामुक्ति अभियान को सफल बनाने में करें और समुदाय में जागरूकता बढ़ाएं। पंचायतों की भूमिका नशामुक्त समाज के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपके प्रयासों से ही यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

आइए, हम सब मिलकर नशामुक्त हिमाचल की दिशा में सार्थक कदम उठाएं।

धन्यवाद।

सचिव,
पंचायती राज विभाग

अनुक्रमणिका

क्रं सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) का परिचय	1 – 3
2.	नशीली दवाओं के सेवन में भारत की स्थिति	4 – 7
3.	हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था	8 – 9
4.	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत नशीली दवाओं के सेवन को रोकने सम्बन्धी प्रावधान	10 – 12
5.	नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका	13 – 24
6.	पंचायती राज संस्थाओं के साथ गैर सरकारी संस्थाओं की साझेदारी	25 – 29
7.	सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण अंर्तगत थीम 2 की नशा निवारण में भूमिका	30 – 34
8.	नशा मुक्ति के लिए पंचायत स्तर पर विचार – विमर्श	35 – 42
9.	केस स्टडी	43 – 44

STOP DRUGS

अध्याय – 1

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) का परिचय

पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs) भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती हैं। लंबे समय से विकसित, भारत में PRIs का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना, सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर सामाजिक – आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।

पंचायती राज संस्थाएं (PRIs) क्या हैं?

पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs) भारत में 'ग्रामीण स्थानीय स्वशासन' की प्रणाली को संदर्भित करती हैं अर्थात लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के शासन की प्रणाली। इन्हें सभी राज्यों में सरकार के तीसरे स्तर के रूप में स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि स्थानीय आबादी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे भाग ले जिससे ग्रामीण विकास पहलुओं की प्रभावशीलता और जवाबदेही बढ़े।

पंचायत क्या है?

- पंचायत शब्द ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन के एक स्वरूप को संदर्भित करता है।
- यह शब्द संस्कृत शब्द पंच (पांच) और आयत (सभा) से लिया गया है।
- परंपरागत रूप से इसका तात्पर्य समुदाय द्वारा विवादों को निपटाने और स्थानीय मामलों की देखरेख के लिए चुने गए पांच बुजुर्गों की परिषद् से है।
- समकालीन भारत में पंचायत प्रणाली एक संरचित और संस्थागत ढांचे के रूप में विकसित हो गई है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर विकेन्द्रीकरण और भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र को बढ़ावा देना है।

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के उद्देश्य

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) का उद्देश्य भारत में स्थानीय शासन को बढ़ाना और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है। उनके उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- **सत्ता का विकेंद्रीकरण करना –** स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लेने के अधिकार को जमीनी स्तर पर स्थानांतरित करना।
- **समावेशी भागीदारी को प्रोत्साहित करना –** शासन में स्थानीय आबादी की भागीदारी को बढ़ावा देना, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- **हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाना –** स्थानीय शासन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करके उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

- **सेवा वितरण में सुधार करना** – शासन को अधिक सुलभ बनाकर सार्वजनिक सेवा वितरण और विकास कार्यक्रमों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना।
- **आर्थिक विकास को बढ़ावा देना** – समुदाय संचालित योजना और विकास पहलों के कार्यान्वयन के माध्यम से स्थानीय आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाना।
- **सामाजिक न्याय को संबोधित करना** – स्थानीय समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को तैयार करना तथा समानता को बढ़ावा देना।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना** – सार्वजनिक कार्यों और सेवाओं की निगरानी में स्थानीय समुदायों को शामिल करके शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।
- **स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देना** – शासन में प्रशासनिक और प्रबंधकीय भूमिकाओं के साथ उन्हें सशक्त बनाकर स्थानीय जनता का विकास करना।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना** – सार्वजनिक कार्यों और सेवाओं की निगरानी में स्थानीय समुदायों को शामिल करके शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।
- **स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देना** – शासन में प्रशासनिक और प्रबंधकीय भूमिकाओं के साथ उन्हें सशक्त बनाकर स्थानीय जनता का विकास करना।
- **सामुदायिक संसाधनों को जुटाना** – विकास के लिए सामुदायिक संसाधनों के सामूहिक उपयोग को प्रोत्साहित करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
- **जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना** – प्रतिनिधि लोकतंत्र को अधिक सहभागी स्वरूप में परिवर्तित करना, शासन को स्थानीय जनता की आकांक्षाओं के साथ संरेखित करना।

पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

मूल संविधान में अनुच्छेद 40 के रूप में राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत (DPSP) शामिल था, जो राज्य की ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है। बाद में, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 जिसने PRIs को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

ग्राम सभा के बारे में जानकारी

- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है।
- ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। इस प्रकार यह एक ग्राम सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं।
- यह ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कार्य कर सकता है जैसे राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है।

पंचायती राज संस्थाएँ भारत के विकेंद्रीकृत शासन ढाँचे की आधारशिला के रूप में उभरी हैं जो स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देती हैं। पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण विकास और राजनीतिक भागीदारी के परिदृश्य को बदल दिया है जिससे शासन अधिक समावेशी, उत्तरदायी और लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो गया है। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के निर्माण खंडों के रूप में पंचायती राज संस्थाओं का निरंतर विकास और सुदृढ़ीकरण सच्चे स्वराज के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण होगा जहाँ सत्ता लोगों से लोगों तक प्रवाहित होती है।

अध्याय – 2

नशीली दवाओं के सेवन में भारत की स्थिति

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ''भारत में मादक द्रव्यों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण'' 2019 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार, मादक द्रव्यों के उपयोग का परिमाण है:

- 10 से 75 वर्ष की आयु के 16 करोड़ लोग 14.6% वर्तमान में शराब का सेवन करते हैं और उनमें से 5.2% शराब पर निर्भर हैं।
- लगभग 3.1 करोड़ व्यक्ति 2.8% भांग के उपयोगकर्ता हैं, और 72 लाख 0.66% लोग भांग की समस्याओं से पीड़ित हैं।
- कुल मिलाकर अफीम उपयोगकर्ता 2.06% हैं और लगभग 0.55% (60 लाख) को उपचार सेवाओं/स्वास्थ्य की आवश्यकता है।
- 1.18 करोड़ 1.08% लोग वर्तमान में शामक (गैर – चिकित्सीय उपयोग) का उपयोग कर रहे हैं।
- 1.7% बच्चे और किशोर इनहेलेंट का उपयोग करते हैं, जबकि वयस्कों में यह आंकड़ा 0.58% है। लगभग 18 लाख बच्चों को इनहेलेंट के उपयोग के लिए सहायता की आवश्यकता है।
- ऐसा अनुमान है कि लगभग 8.5 लाख लोग नशीली दवाओं का इंजेक्शन ले रहे हैं (पीडब्ल्यूआईडी – वे लोग जो नशीली दवाओं का इंजेक्शन लेते हैं)

भारत में भांग का सेवन करने वालों की संख्या

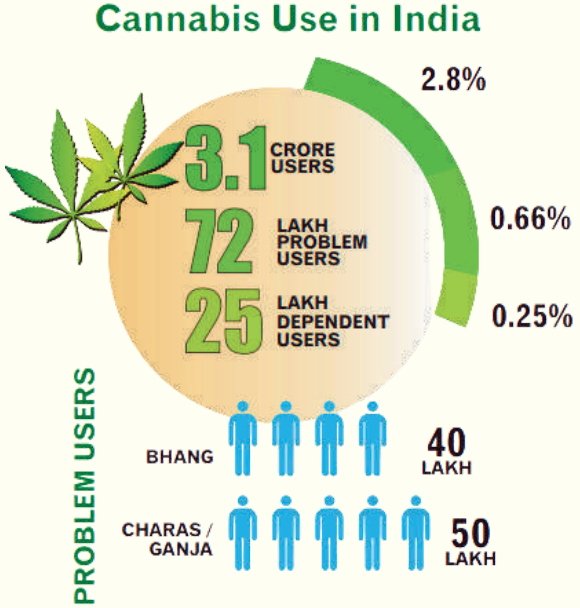

भारत में शराब का सेवन करने वालों की संख्या

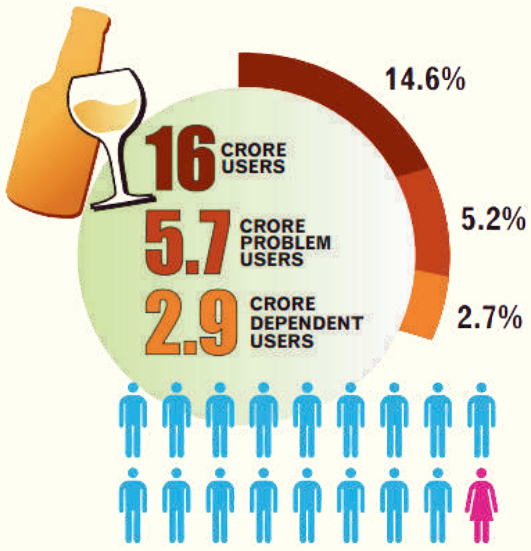

भारत में सूंघने वाले नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों की संख्या

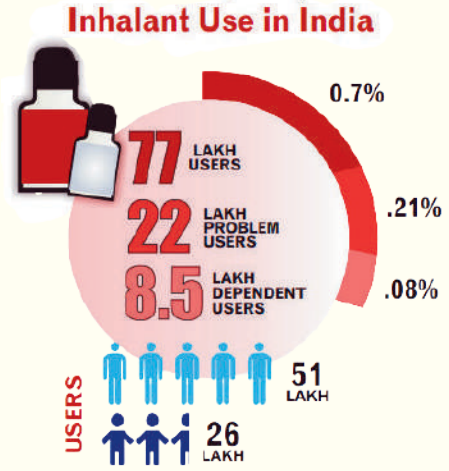

भारत में अफीम का सेवन करने वालों की संख्या

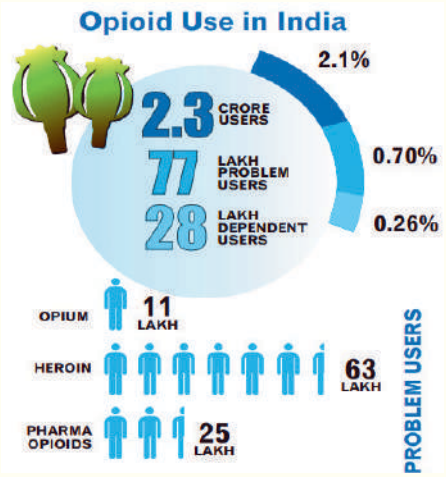

शराब ALCOHOL

State Code	State/UT	Alcohol Current Use (%)	Alcohol Dependence (%)	Alcohol 'Quantum of Work' (%)
01	JAMMU & KASHMIR	3.5	0.3	1.2
02	HIMACHAL PRADESH	8.9	0.7	1.7
03	PUNJAB	28.5	6	10.5
04	CHANDIGARH	17.5	1.1	4.3
05	UTTARAKHAND	18.8	1.6	4.2
06	HARYANA	21.6	2.7	4.4

भांग CANNABIS

State Code	State/UT	Cannabis Current Use (%)	Cannabis Dependence (%)	Cannabis 'Quantum of Work' (%)
01	JAMMU & KASHMIR	1.31	0.12	0.31
02	HIMACHAL PRADESH	3.18	0.27	0.74
03	PUNJAB	12.55	0.42	2.26
04	CHANDIGARH	0.71	0.12	0.22
05	UTTARAKHAND	3.38	0.53	1.02
06	HARYANA	6.43	0.57	1.51

अफीम OPIOIDS

State Code	State/UT	Opioids Current Use (%)	Opioids Dependence (%)	Opioids 'Quantum of Work' (%)
01	JAMMU & KASHMIR	4.91	0.62	1.5
02	HIMACHAL PRADESH	5.66	0.75	1.7
03	PUNJAB	9.69	1.28	2.8
04	CHANDIGARH	2.93	0.39	0.9
05	UTTARAKHAND	2.58	0.32	0.8
06	HARYANA	8.68	1.12	2.5

सेडेटिव्स SEDATIVES

State Code	State/UT	Sedatives Current Use (%)	Sedatives Dependence (%)	Sedatives 'Quantum of Work' (%)
01	JAMMU & KASHMIR	1.54	0.15	0.29
02	HIMACHAL PRADESH	2.07	0.21	0.39
03	PUNJAB	4.25	0.42	0.80
04	CHANDIGARH	1.48	0.15	0.28
05	UTTARAKHAND	2.09	0.21	0.39
06	HARYANA	2.78	0.28	0.52

कोकीन COCAINE

State Code	State/UT	Cocaine Current Use (%)	Cocaine Dependence (%)	Cocaine 'Quantum of Work' (%)
01	JAMMU & KASHMIR	0.01	--	--
02	HIMACHAL PRADESH	0.04	0.01	0.01
03	PUNJAB	0.66	0.11	0.20
04	CHANDIGARH	0.05	0.01	0.01
05	UTTARAKHAND	0.02	--	0.01
06	HARYANA	0.09	0.02	0.03

एम्फेटामाइन के प्रकार
AMPHETAMINE TYPE STIMULANTS (ATS)

State Code	State/UT	ATS Current Use (%)	ATS Dependence (%)	ATS 'Quantum of Work' (%)
01	JAMMU & KASHMIR	0.02	--	0.01
02	HIMACHAL PRADESH	0.01	--	--
03	PUNJAB	0.64	0.06	0.24
04	CHANDIGARH	0.09	0.01	0.03
05	UTTARAKHAND	0.03	--	0.01
06	HARYANA	0.39	0.04	0.14

सूंघने वाले नशीले प्रदार्थ
INHALANTS

State Code	State/UT	Inhalants Current Use (%)	Inhalants Dependence (%)	Inhalants 'Quantum of Work' (%)
01	JAMMU & KASHMIR	1.22	0.13	0.36
02	HIMACHAL PRADESH	3.38	0.38	1.03
03	PUNJAB	1.01	0.11	0.31
04	CHANDIGARH	0.17	0.02	0.05
05	UTTARAKHAND	1.00	0.11	0.29
06	HARYANA	2.63	0.29	0.78

मादक द्रव्य HALLUCINOGENS

State Code	State/UT	Hallucinogens Current Use (%)	Hallucinogens Dependence (%)	Hallucinogens 'Quantum of Work' (%)
01	JAMMU & KASHMIR	0.01	--	--
02	HIMACHAL PRADESH	--	--	--
03	PUNJAB	--	--	--
04	CHANDIGARH	0.01	--	--
05	UTTARAKHAND	0.08	0.01	0.02
06	HARYANA	0.13	0.01	0.04

नशीले प्रदार्थ इंजेक्ट करने वाले लोग
PEOPLE WHO INJECT DRUGS

State Code	State	No. of PWID
01	JAMMU & KASHMIR	25098
02	HIMACHAL PRADESH	400 4
03	PUNJAB	88165
04	CHANDIGARH	1500
05	UTTARAKHAND	6216
06	HARYANA	55358

अध्याय – 3

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना वैधानिक रूप से वर्ष 1954 में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत की गई। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1952 के लागू होने से पूर्व प्रदेश में 280 ग्राम पंचायतें थी और उक्त अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात् वर्ष 1954 में 466 ग्राम पंचायतें स्थापित की गई जिनकी संख्या 1962 में बढ़कर 638 हो गई ।

- 01 नवम्बर, 1966 में पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल मे विलय किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 1695 हो गई। मिलाए गए क्षेत्रों में पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली गठित थी जबकि इस राज्य में द्विस्तरीय प्रणाली गठित थी। पुराने तथा नए क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968, दिनांक: 15 नवम्बर, 1970 से लागू किया और सम्पूर्ण प्रदेश में दो – स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई।

- इसके अतिरिक्त, राज्य में न्यायिक कार्यो के लिए अलग से न्याय पंचायतें गठित थी परन्तु 1977 में न्याय पंचायतों का अस्तित्व समाप्त करके न्यायिक कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपे गए। उपरोक्त अधिनियम के वर्ष 1970 में लागू होने के पश्चात् ग्राम सभा क्षेत्रों का समय – 2 पर पुनर्गठन तथा विभाजन करके नई ग्राम सभाओं का गठन किया गया।

- वर्ष 2005 – 2006 में 206 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया जिसके फलस्वरूप पंचायतों की संख्या 3243 हुई। वर्ष 2010 में प्रदेश में 3243 ग्राम पंचायतें 77 पंचायत समितियां और 12 जिला परिषदें थी। वर्ष 2015 में 17 ग्राम पंचायतों का विलय नगर पालिकाओं में होने के कारण ग्राम पंचायतों की संख्या 3226 तथा श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर को नई पंचायत समिति गठित करने के कारण पंचायत समितियों की संख्या 78 हो गई।

- वर्ष 2020 में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव से पहले सरकार द्वारा 412 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया तथा 23 ग्राम पंचायतों का नगर पालिकाओं में विलय किया गया। इस कारण कुल ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 3615 तथा बालीचौकी जिला मण्डी, टुटू तथा कुपवी जिला शिमला को नई पंचायत समिति गठित करने के कारण पंचायत समितियों की संख्या 81 हो गई।

ग्राम पंचायतों की वर्ष 1952 से संख्या का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	1952	280
2.	1954	466
3.	1962	638
4.	1966	1695
5.	1972	2035
6.	1978	2357
7.	1985	2597
8.	1991	2757
9.	1995	2922
10.	2000	3037
11.	2005	3243
12.	2010	3243
13.	2015	3226
14.	2020	3615

अध्याय – 4

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत नशीली दवाओं के सेवन को रोकने सम्बन्धी प्रावधान

ग्रामीण भारत में स्कूली बच्चों में धूम्रपान की व्यापकता कई कारणों से एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है। सामाजिक – आर्थिक असमानताएँ, शिक्षा तक सीमित पहुँच और तम्बाकू नियंत्रण कानूनों का ढीला प्रवर्तन उनकी भेद्यता को बढ़ाता है। साथियों का दबाव, तंबाकू उत्पादों की आसान उपलब्धता और सांस्कृतिक स्वीकृति समस्या में और योगदान करती है। इस मुद्दे को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाना है क्योंकि इनकी निकटता से बच्चों के इन हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आने और प्रयोग करने का खतरा बढ़ जाता है। शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू की दुकानों पर सख्त प्रतिबंध लगाकर, प्रभावी निगरानी और सख्ती करके, हम बच्चों के तंबाकू के संपर्क को काफी कम कर सकते हैं और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ावा दे सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान रोकथाम) अधिनियम, 1952, 16 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य नाबालिगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए इसकी बिक्री या वितरण पर रोक लगाना है। पंचायतें स्थानीय स्तर पर अधिनियम को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए कुछ शक्तियां प्रदान करता है जिसमें तंबाकू उत्पादों की बिक्री और धूम्रपान जैसी हानिकारक आदतों को खत्म करने के उपाय शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की अनुसूची-III के तहत ग्राम पंचायतों को किशोर (धूम्रपान रोकथाम) अधिनियम, 1952 के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर विचार करने का अधिकार देता है।

- हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान रोकथाम) अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री या आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाती है।

इस कानून का उल्लंघन करने के दोषी पाए जाने पर

- पहली बार 10 रुपये
- दूसरी बार 20 रुपये
- और तीसरी बार 50 रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है ।

उपरोक्त प्रावधान का उद्देश्य नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों को बेचने या प्रदान करने वालों पर जुर्माना लगाकर तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाना है।

इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान निवारण) अधिनियम, 1952 की धारा 4 कहती है कि: –

- यदि कोई बच्चा 16 वर्ष का है और सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू का सेवन करता है तो लम्बरदार, किसी मान्यता

प्राप्त स्कूल या कॉलेज के शिक्षक, नगरपालिका परिषद के सदस्य, जिला अध्यक्ष, समिति क्षेत्र के सदस्य, वकील या पंचायत के सदस्य या मजिस्ट्रेट को तंबाकू छीनने या नष्ट करने का अधिकार होगा।

क्यों है यह महत्वपूर्ण ?

बच्चों का स्वास्थ्य: तंबाकू से होने वाली बीमारियां जैसे कैंसर, दिल की बीमारियां और फेफड़ों की बीमारियां बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। भविष्य में अगर बच्चों को बचपन से ही तंबाकू की लत लग जाती है तो उन्हें बड़े होने पर भी इससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। समाज में तंबाकू न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को बल्कि पूरे समाज को भी नुकसान पहुंचाता है।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत निषेध लागू करने की शक्ति का प्रावधान

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 में प्रावधान है कि एक ग्राम पंचायत कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह निर्देश दे सकती है कि ग्राम पंचायत के स्थानीय क्षेत्र में किसी भी लाइसेंस प्राप्त दुकान पर मादक द्रव्य (शराब) नहीं बेचे जा सकते है। ऐसा संकल्प अगले वर्ष अप्रैल के पहले दिन से प्रभावी होगा।

किसी भी उत्पाद शुल्क अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद ऐसा संकल्प सरकार द्वारा अनुमोदन के अधीन उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त पर बाध्यकारी होगा। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की अनुसूची 3 के अनुसार ग्राम पंचायत में किसी व्यक्ति द्वारा शराब के सेवन के पश्चात् सार्वजनिक स्थान में कदाचार से संबंधित मामलों में ग्राम पंचायत को विचार करने का अधिकार देती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 का उद्देश्य जनता द्वारा इस तरह के उपद्रव को रोकना है और यह अपराध ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय है।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 में पंचायतों के सभी तीन स्तरों यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सीटों पर नामांकन दाखिल करने का प्रावधान है। उम्मीदवार को शपथ पत्र देना होगा कि वह न तो नशीले पदार्थो का सेवन करेगा और न ही पोस्त, अफीम और भांग की खेती करेगा और दूसरों को भी नशीले पदार्थो का उपयोग न करने और पंचायत क्षेत्र में पोस्त, अफीम और भांग की खेती न करने के लिए प्रेरित करेगा।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA) सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने, नाबालिगों को सिगरेट बेचने और तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करने पर प्रतिबंध लगाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पादों की बिक्री को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया है

- हिमाचल प्रदेश खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध अधिनियम, 2016
- हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान निवारण) अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि (COTPA) को लागू करने के लिए अधिकृत हैं।
- ग्राम पंचायतों में हिमाचल सरकार द्वारा पुरस्कार योजनाओं की घोषणा की गई है जहां ''तंबाकू मुक्त स्थिति'' प्राप्त करने पर एक पंचायत को 5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। जुर्माने के रूप में एकत्र की गई धनराशि का उपयोग राज्य में तंबाकू नियंत्रण के वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है।

- धूम्रपान मुक्त नियमों के अनुपालन के आंकलन के आधार पर, शिमला को 2010 में 'धूम्रपान मुक्त शहर' घोषित किया गया है । इसके बाद 2013 में पूरे हिमाचल प्रदेश राज्य को 'धूम्रपान मुक्त' घोषित किया गया है।

नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए विभिन्न हितकारकों की भूमिका :

- हिमाचल प्रदेश राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। दुर्भाग्य से यह खूबसूरत राज्य भांग और अफीम की अवैध खेती के लिए भी जाना जाता है इसके अलावा युवा नशे की आदत का लक्ष्य बन रहे हैं। नशीली दवाओं के सेवन से न केवल व्यक्तियों की भलाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बल्कि समाज भी विकृत होता है जिसके कारण जघन्य अपराध, खराब स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में खराब प्रदर्शन होता है। समय की मांग है कि राज्य को ''नशा मुक्त'' बनाया जाए क्योंकि यह लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है, खासकर युवाओं और बड़े पैमाने पर समाज के लिए इसलिए नशीली दवाओं के खतरे को कम किया जाना चाहिए। ''नशे को ना कहें, जीवन को हाँ कहें''
- नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जो व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को प्रभावित करती है। पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs) गैर-सरकारी संगठन (NGO), युवा क्लब और अन्य समुदाय आधारित संगठन (CBO) प्रभावी भागीदारी बनाकर इस समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, युवा क्लबों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रत्येक भागीदार की ताकत का लाभ उठाकर, PRIs नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और संबोधित करने, स्वस्थ समुदायों को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को ठीक होने में सहायता करने के अपने प्रयासों को बढ़ा सकते हैं।
- गैर सरकारी संगठनों, युवा क्लबों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझेदारी करने वाली पंचायती राज संस्थाएँ:
- नशीली दवाओं का दुरुपयोग सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रें में जहां संसाधन और सहायता प्रणालियाँ सीमित हो सकती हैं। स्थानीय शासन निकायों के रूप में पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs) गैर सरकारी संगठनों, युवा क्लबों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और कानून प्रवर्तन के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों का नेतृत्व और समन्वय करने के लिए आदर्श रूप से स्थित हैं।

- यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण नशीली दवाओं के खिलाफ पहल की प्रभावशीलता को काफी हद तक बढ़ा सकता है।

अध्याय – 5

नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

परिचय

नशीली दवाओं का मानव शरीर पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। यह मानव मस्तिष्क तक पहुँचने वाले अंगों को प्रभावित करती है। इसका ज्यादा मात्रा में या लंबे समय तक सेवन करने से घातक प्रभाव हो सकता है। नशीली दवाओं का व्यक्तियों द्वारा आमतौर पर इसलिए सेवन किया जाता है कि इससे व्यक्ति को लगता है कि उसकी समस्या का अस्थायी समाधान हो सकता है।

मादक पदार्थो के कई रूप हैं जिसमें ड्रग्स, शराब और वह सब कुछ शामिल है जो किसी व्यक्ति को नशे में डालता है और उसकी इंद्रियों को शांत करता है और उसे कुछ घंटों या दिनों के लिए निष्क्रिय कर देता है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से या अनिच्छा से नशीली दवाओं का आदी हो सकता है। समस्या यह है कि कुछ लोगों को बहुत देर होने तक पता नहीं चलता कि इससे उनके स्वास्थ्य को कितना नुकसान हो चुका है। हाल ही के वर्षों में प्रदेश की युवा पीढ़ी का नशीली दवाओं के सेवन का आदी हो चुका है जिसके कई कारण हो सकते हैं बुरी संगती समस्याओं का अस्थायी समाधान या दवा। अधिकांश मामलों में नशीली दवाओं का सेवन मस्तिष्क को प्रभावित करता है क्योंकि यह आपके तंत्रिका कोशिकाओं को मस्तिष्क से संदेश भेजने और प्राप्त करने से रोकता है। यह एक अप्राकृतिक घटना है यह आपके मस्तिष्क के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बाधित कर सकता है।

पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs) नशीली दवाओं के दुरुपयोग सहित विभिन्न सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने और कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली दवाओं के सेवन के मुद्दे को संबोधित करने में पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs) जो प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं, उनमें से एक सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा का माध्यम हो सकता है। जमीनी स्तर पर PRIs द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए वे ग्रामीण आबादी को नशीली दवाओं के सेवन के खतरों के बारे में अवगत करवाने शिक्षित करने और अपने समुदायों के भीतर स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए आदर्श रूप से कार्य कर सकते है।

स्थानीय स्व–सरकारी संस्थाएं नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने में किस प्रकार योगदान दे सकती हैं:

सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा:

PRIs समुदाय को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में सूचित करने के लिए जागरूकता अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। जिस समुदाय में कोई रहता है वह व्यक्तियों के जीवन को काफी हद तक आकार देता है। विशेष रूप से युवाओं में नशीली दवाओं की लत न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवारों और समाज के अन्य लोगों को भी प्रभावित करती है। इस प्रकार विभिन्न समुदाय नशीली दवाओं की लत से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। इसलिए समुदाय, गैर सरकारी संगठन और PRIs नशे की लत से उबरने और संयम हासिल करने में मदद करने के लिए एक साथ आते हैं। कई सरकारी पुनर्वास केंद्र और कार्यक्रम हैं जो नशे की लत से निपटने के लिए सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

नशे से पीड़ित लोगों को समुदाय के समर्थन की आवश्यकता होती है क्योंकि वे अपनी इच्छाशक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। अक्सर पाया जाता है कि शुरुआती चरण में समुदायों और परिवारों द्वारा हस्तक्षेप से नशे की लत को कम करने में मदद मिल सकती है। इसमें अक्सर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना और प्रभावी पुनर्वास कार्यक्रम बनाना शामिल होता है जो लोगों के लिए सुलभ हों।

समुदायों में मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या बहुत ज्यादा है। भारत में हाल ही में हुए मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वयस्क आबादी में 22.4% लोग मादक द्रव्यों के सेवन से पीड़ित हैं जिसमें शराब सेवन विकार भी शामिल है। मादक द्रव्यों के सेवन का प्रतिशत नीचे दर्शाया गया है:

भारत में विभिन्न जनसंख्या समूहों में वर्तमान मादक द्रव्यों के उपयोग की व्यापकता (%)		
पदार्थ	**किशोर (10 – 17 वर्ष)**	**वयस्क (>18 वर्ष)**
शराब	1.3	17.1
कैनबिस	0.9	3.3
ओपिओइड	1.8	2.1
इनहेलेंट	1.17	0.58

इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ये समस्याएँ बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों जैसी विशेष आबादी में भी उभर रही हैं। PRIs गाँव स्तर पर जागरूकता अभियान चला सकते हैं जो नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले खतरों को सीधे संबोधित करते हैं।

ये अभियान विभिन्न रूप ले सकते हैं, जैसेः

- **सार्वजनिक बैठकें :** गांव के चौराहे या सामुदायिक केंद्र में नियमित बैठकें जहां पंचायती राज संस्था के सदस्य, स्वास्थ्य विशेषज्ञ/कर्मी और सामुदायिक नेता नशीली दवाओं के सेवन के परिणामों पर चर्चा करते हैं।
- **कार्यशालाएं और सेमिनार :** स्थानीय स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर कार्यशालाएं आयोजित करना, जिनका ध्यान व्यक्तियों और परिवारों पर नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभावों पर केंद्रित हो।
- **नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम :** कहानी कहने के पारंपरिक तरीकों, जैसे नुक्कड़ नाटक, लोक संगीत या कठपुतली प्रदर्शन, का उपयोग करके नशीली दवाओं की रोकथाम के संदेश को स्थानीय समुदायों के साथ प्रतिध्वनित तरीके से संप्रेषित करना।

ये गतिविधियाँ विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों, विशेषकर युवाओं के बीच नशीली दवाओं के उपयोग से जुड़े दीर्घकालिक स्वास्थ्य और सामाजिक जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करती हैं।

इस तथ्य के बारे में जागरूकता का स्तर बहुत कम है कि शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने से लत लग सकती है और लत एक बीमारी है।

नशे की लत से निपटने के लिए समुदाय को संगठित करना पहला कदम है। सामुदायिक केंद्रों पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, सुरक्षित तरीके से निपटना, कार्यक्रम आयोजित करना, पुनर्वास कार्यक्रम भी चलाए जा सकते हैं। इससे समुदाय में व्याप्त नशीली दवाओं की समस्याओं और उनसे जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद मिलती है। साथ ही उन बच्चों और युवाओं के बीच जागरूकता फैलाई जानी चाहिए जो इससे सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं।

सहायता प्रणाली और पुनर्वास:

PRIs स्थानीय सहायता प्रणालियों की स्थापना में सहायता कर सकते हैं :- जैसे कि परामर्श केंद्र और पुनर्वास सुविधाएँ। वे व्यसन से जूझ रहे व्यक्तियों को उपचार और सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के साथ काम कर सकते हैं। समुदायों में इस समस्या के बढ़ने से रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है और आबादी के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों और समुदाय के विभिन्न वर्गों को संबोधित करना चाहिए। बच्चों को कम उम्र में संदेश देने के लिए स्कूल - आधारित जागरूकता कार्यक्रम ताकि वे बड़े होने पर जीवन में स्वस्थ विकल्प चुन सकें।

समुदाय में युवा समूह, जो महत्वपूर्ण रोल मॉडल हैं, को जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से शामिल किया जा सकता है और संदेश फैलाने के लिए उनका उपयोग भी किया जा सकता है। महिला स्वं - सहायता समूहों को शिक्षित किया जा सकता है क्योंकि ऐसे समूहों के सदस्य परिवार के सदस्य के नशीली दवाओं के उपयोग से प्रभावित हो सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सह - निर्भर हो जाते हैं। इसमें समुदाय धार्मिक प्रमुखों को भी शामिल करने की आवश्यकता है क्योंकि वे समुदाय को विशेषज्ञों की लेने के लिए सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। उचित सार्वजनिक सेवा संदेश देने के लिए कलेक्टर कार्यालय से समय - समय पर संपर्क किया जा सकता है।

स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्रशिक्षित कर्मचारियों और उचित रेफरल तंत्र से लैस करने की आवश्यकता है ताकि प्रारंभिक पहचान और उपचार संभव हो सके। प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट ग्राम उत्सव का समय होता है जब मादक द्रव्यों का सेवन बढ़ सकता है। इस दौरान समुदाय में काम करने वाले स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को संपर्क का केंद्र बिंदु बनाया जाना चाहिए। परिवार, शैक्षणिक संस्थानों में मादक द्रव्यों के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध सहायता के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

इसके लिए निम्न पहल की आवश्यकता होगी:

- प्रभावित व्यक्तियों या उनके परिवारों या मित्रों के लिए संपर्क करने हेतु एक टोल - फ्री नंबर जारी करना ।
- पोस्टर / पर्चे / नोटिस प्रदर्शित किए जाने चाहिए।
- प्रिंट, टीवी और रेडियो सहित मीडिया के साथ समन्वय में संबंधित जागरूकता फैलानी चाहिए।
- स्वास्थ्य विभाग को रेफरल और फॉलोअप के लिए प्रशिक्षित किया जाना ।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आईआरसीए (व्यसनी एकीकृत पुनर्वास एवं परामर्श केन्द्र) को नशे की लत से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सुलभ बनाना।
- निजी डॉक्टरों को भी संवेदनशील बनाने की जरूरत है।
- ग्रामीण शिविरों का आयोजन उपयुक्त उपचार केन्द्रों और समुदाय के किसी मेजबान संगठन के साथ साझेदारी में किया जा सकता है।

- राज्य और जिला स्तर पर सरकार की वेबसाइटों पर व्यसन प्रबंधन के लिए सेवाएं प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- मादक पदार्थ एवं तस्करी विरोधी दिवस, तंबाकू विरोधी दिवस, गांधी जयंती दिवस आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण दिवसों को मनाने से मादक द्रव्यों के सेवन और लत की समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है।
- पंचायती राज संस्थाओं को अवैध नशीले पदार्थो, जिनमें अवैध खेती, तस्करी और उपभोग तथा उनके दीर्घकालिक प्रतिकूल परिणाम शामिल हैं, के विरुद्ध चर्चा करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- PRIs नशीली दवाओं की लत से जूझ रहे व्यक्यिों के लिए सहायता प्रणाली स्थापित करने और उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करके, PRIs स्थानीय परामर्श केंद्रों और पुनर्वास सुविधाओं के निर्माण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं जो मादक द्रव्यों के सेवन से प्रभावित लोगों के लिए बहुत जरूरी उपचार और सहायता प्रदान करते हैं।

परामर्श केन्द्रः

नशीली दवाओं की लत से पीड़ित व्यक्तियों के लिए परामर्श, पुनप्राप्ति प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। PRIs समुदाय – आधारित परामर्श केंद्रों के निर्माण की वकालत कर सकते हैं जहाँ प्रशिक्षित विशेषज्ञ मदद चाहने वाले व्यक्तियों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं। ये केंद्र निम्नलिखित मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं:

- **व्यक्तिगत परामर्श :** व्यसन के मूल कारणों का पता लगाने के लिए व्यक्तिगत परामर्श सत्र।
- **पारिवारिक परामर्श :** सहायक घरेलू वातावरण बनाने के लिए परिवार के सदस्यों को पुनर्वास प्रक्रिया में शामिल करना।
- **समूह चिकित्सा :** समान चुनौतियों का सामना कर रहे व्यक्तियों को सहकर्मी समर्थन और साझा अनुभवों के लिए एक सुरक्षित स्थान पर एक साथ लाना।

पुनर्वास सुविधाएः

गहन देखभाल की आवश्यकता वाले पीड़ित व्यक्तियों के लिए PRIs जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर आस – पास के शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास सुविधाएँ स्थापित कर सकते हैं। ये केंद्र निम्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते हैं:

- **विषहरण कार्यक्रम :** व्यक्तियों को उनके शरीर से हानिकारक पदार्थो को निकालने की प्रक्रिया में सहायता करना।
- **मानसिक स्वास्थ्य :** सह – उत्पन्न होने वाली मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उपचार प्रदान करना, जो अक्सर व्यसन से जुड़ी होती हैं।
- **जीवन कौशल प्रशिक्षण :** पुनर्वास के बाद समाज में पुनः एकीकरण के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना।

स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सहयोग:

PRIs स्थानीय स्वास्थ्य विभागों के साथ साझेदारी कर सकते हैं ताकि नशे की लत से उबरने वाले व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सहायता तक पहुँच सुनिश्चित की जा सके। इन स्वास्थ्य सेवाओं में निम्न शामिल किए जा सकते है।

- **मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक :** दूरदराज के क्षेत्रों में उपचार और निगरानी की सुविधा प्रदान करना जहां लोगों का अस्पतालों तक पहुँचने में कठिनाई होती है।
- **टेलीमेडिसिन सेवाएं :** दूरस्थ परामर्श और सहायता के लिए ग्रामीण रोगियों को व्यसन विशेषज्ञों से जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

युवाओं और परिवारों को शामिल करना:

युवाओं को सामुदायिक गतिविधियों और कार्यक्रमों में शामिल करके PRIs नशीली दवाओं के उपयोग के विरूद्ध एक सकारात्मक विकल्प प्रदान कर सकते हैं। वे नशीली दवाओं के दुरुपयोग से प्रभावित परिवारों को सहायता भी प्रदान कर सकते हैं तथा उन्हें इससे निपटने और उपचार के लिए संसाधन खोजने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा, निम्नलिखित कदम भी उठाए जा सकते हैं:

- योग, टीम आधारित खेल और स्थानीय खेलों जैसे विभिन्न रूपों में उत्पादक गतिविधि लिंकेज कार्यक्रमों की स्थापना करना। यह कार्यक्रम युवाओं का ध्यान गैर-उत्पादक और संभावित रूप से अवैध गतिविधियों से हटाने के उद्देश्य से किये जाने चाहिए।
- स्थानीय जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए महिला संगठनों (जैसे महिला मंडल) को सशक्त बनाना।
- युवा और सामाजिक गतिविधियों के क्लबों को सशक्त बनाना ताकि वे कमज़ोर लक्षित आयु समूहों की ऊर्जा को दिशा देने के लिए गतिविधि-आधारित कार्यक्रम स्थापित कर सकें। इसके अलावा, इसे स्थानीय समुदाय में स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधियों और खेल टूर्नामेंटों के बारे में जानकारी साझा करने के संबंध में विभिन्न सूचना प्रक्रियाओं से जोड़ा जाना चाहिए।
- स्थानीय, क्षेत्रीय व्यक्तित्वों और मशहूर हस्तियों की जनसंपर्क गतिविधियों में नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ जमीनी स्तर पर संवेदनशीलता और जागरूकता अभियान के साथ-साथ जीवन के प्रति स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- नशीली दवाओं के दुरूपयोग से पीड़ित व्यक्तियों को सशक्त बनाना, जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और वर्तमान में स्थानीय सफलता/उज्ज्वल कहानियों के रूप में समाज में एकीकृत हो चुके हैं ताकि वर्तमान में नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं/संभावित नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान की जा सके।
- लक्षित आयु वर्ग के लिए सांस्कृतिक प्रासंगिकता के साथ स्थानीय और क्षेत्रीय मीडिया (यानी, टीवी और रेडियो) में सामाजिक जागरूकता और नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता (बुरे प्रभावों सहित) के प्रसार को प्रोत्साहित करें। इसके अलावा, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक लोकगीतों और कारीगरी में इसी तरह के नशीली दवाओं के बारे में जागरूकता संदेशों के एकीकरण को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

युवा विशेष रूप से नशीली दवाओं के उपयोग के प्रलोभनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बेरोजगारी और मनोरंजक गतिविधियों की कमी जोखिम भरे व्यवहार को जन्म दे सकती है। PRIs युवाओं और परिवारों को सार्थक सामुदायिक गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं तथा नशीली दवाओं का सेवन न करने के लिए सकारात्मक विकल्प प्रदान कर सकते हैं। मादक द्रव्यों के सेवन से प्रभावित परिवारों को भी PRIs द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है।

युवा सहभागिता कार्यक्रमः

PRIs विभिन्न प्रकार के युवा सहभागिता कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा और रचनात्मकता जीवन के लिए सकारात्मक आउटलेट प्रदान करते हैं, जिससे नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने में मदद मिलती है जो इन पहलों में शामिल हो सकते हैं:

- **खेल एवं मनोरंजक गतिविधियाँ :** युवाओं को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में शामिल करने के लिए स्थानीय खेल लीग की स्थापना करना या टूर्नामेंट का आयोजन करना।
- **व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम :** युवाओं को व्यवहार्य कैरियर पथ प्रदान करने के लिए बढ़ई, सिलाई और कंप्यूटर साक्षरता जैसे क्षेत्रों में कौशल निर्माण कार्यशालाएं आयोजित करना।
- **सांस्कृतिक और कलात्मक गतिविधियाँ :** स्थानीय परंपराओं के प्रति गौरव की भावना को बढ़ावा देने और नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए लोक नृत्य, संगीत और रंगमंच सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

परिवार का समर्थनः

नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने और व्यक्तियों को इससे उबरने में सहायता प्रदान करने में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पी.आर.आई. निम्न कार्य कर सकते हैं:

- **पेरेंटिंग कार्यशालाएं आयोजित करना :** माता – पिता को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लक्षणों की पहचान करने के बारे में शिक्षित करना तथा अपने बच्चों में मादक पदार्थों के उपयोग से बचने व उपयोग से रोकने के लिए रणनीति प्रदान करना।
- **परिवारों के लिए सहायता समूह :** पंचायत या ग्राम स्तर पर सामुदायिक समूहों की स्थापना करना जहां नशीली दवाओं की लत से प्रभावित परिवार अपने अनुभव साझा कर सकें और एक दूसरे को भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकें।
- **परिवारों को संसाधनों से जोड़ना :** आवश्यकता पड़ने पर परिवारों को नशे के उपचार कार्यक्रमों और वित्तीय सहायता संस्थाओं तक पहुंचने में मदद करना।

निगरानी और रिपोर्टिंग:

पंचायती राज संस्थाएँ नशीली दवाओं के सेवन से संबंधित स्थानीय गतिविधियों की निगरानी करने और इन मुद्दों को उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जिससे संसाधनों के आवंटन और लक्षित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन में मदद मिल सकती है।

इसके अलावा निम्नलिखित कदम भी उठाए जा सकते हैं:

- नशीली दवाओं के प्रति जागरूकता अभियानों और नशे के खिलाफ संदेशों के चित्र वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाना।
- चित्रों और दृश्यों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने वाले अभियान यह दर्शाते हैं कि बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ अक्सर उनके माता – पिता द्वारा नशीली दवाओं के सेवन के कारण होती हैं।
- कमजोर लक्षित आयु समूहों के लोगों को स्थानीय / जिला नशा मुक्ति केंद्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना, साथ ही उन्हें नशामुक्त हो रहे लोगों के साथ एक – एक करके व्यक्तिगत बातचीत करने का अवसर प्रदान करना, ताकि जागरूकता पैदा करने के लिए एक अतिरिक्त स्वास्थ्य – आधारित परिप्रेक्ष्य लाया जा सके।

- मादक दवाओं और मनोतेज़क दवाओं के भण्डारण, उपभोग, परिवहन आदि के लिए दवा कानूनों के तहत दिए गए दंड के बारे में ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जागरूकता को बढ़ावा देना तथा यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे जागरूकता संदेशों को चित्रों और दृश्यों के द्वारा प्रचार - प्रसार करने में सहयोग दिया जाना चाहिए।
- विभिन्न आयु समूहों और जनसांख्यिकी को ध्यान में रखते हुए जागरूकता अभियान आयोजित करने के लिए सूचना, शिक्षा, संचार Information, Education & Communication (IEC) का विकास करना ।
- स्थानीय, जिला और राज्य स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं (PRIs) के साथ आईईसी गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- पंचायती राज संस्थाओं की ग्राम सभाओं में नशीली दवाओं के प्रति जागरूकता, विशेष रूप से नशीली दवाओं के सेवन के संदर्भ में चर्चा के लिए अनिवार्य चर्चा समय आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चर्चा में वास्तिविकता को जोड़ने के लिए चर्चा के दौरान चित्रों और आंकड़ों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।
- ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी स्तर पर नए परामर्श केन्द्रों की स्थापना तथा मौजूदा परामर्श केन्द्रों में सुधार, जिसमें नशीली दवाओं के उपभोग के संदर्भ में स्थानीय स्वास्थ्य शिक्षा के दायरे का विस्तार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- स्थानीय जागरूकता अभियानों के माध्यम से शराब/तम्बाकू उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन को सामाजिक रूप से हतोत्साहित करना। यह संवेदनशील लक्षित आयु समूहों का ध्यान कानूनी पदार्थो से हटाने के लिए एक प्राथमिक सामाजिक जाल के रूप में कार्य करेगा जो कठिन अवैध पदार्थों के लिए प्रवेश द्वार उपकरण/उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है।
- छोटे-छोटे जागरूकता अभियानों पर ध्यान केन्द्रित करना, जो सूक्ष्म प्रक्रियाओं/उत्पादों के प्रसार की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो नशीली दवाओं के उपभोग की प्रक्रिया को सशक्त बनाते हैं, जैसे नशीली दवाओं से संबंधित सामान, खुली सिगरेटें आदि।
- दिन-प्रतिदिन या सप्ताह-दर-सप्ताह पर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए स्थानीय और जिला स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल जागरूकता इकाइयों की स्थापना को सुविधाजनक बनाना और प्रोत्साहित करना।
- स्थानीय स्तर पर नशीली दवाओं के सेवन के प्रभाव और प्रसार पर प्राप्त अतिरिक्त आंकड़ों की जानकारी पर ग्राम पंचायत द्वारा ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी/स्थानीय सरकारी स्वास्थ्य प्रतिनिधियों के साथ अनिवार्य सूचना साँझा करना।
- सक्रिय अभिभावक-शिक्षक जागरूकता कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों को प्रोत्साहित करना जिसमें नशीली दवाओं से प्रेरित लक्षणों को उजागर करने के साथ-साथ व्यवहार मूल्यांकन रिपोर्ट के विकास पर सहयोगात्मक रूप से कार्य करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- सुविधाओं की सेवा गुणवत्ता का आकलन करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा समुदाय के सदस्यों को तैनात किया जाना चाहिए।
- सुविधाओं की सेवा गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा समुदाय के सदस्यों को तैनात किया जाना चाहिए।

पंचायती राज संस्थाएँ नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित स्थानीय रुझानों की निगरानी करने में सक्षम हैं क्योंकि उनका समुदाय से घनिष्ठ संबंध है। वे मादक द्रव्यों के सेवन के पैटर्न को ट्रैक करने और इन मुद्दों को उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जिससे संसाधनों को आवंटित करने और लक्षित हस्तक्षेप की योजना बनाने में मदद मिलती है।

सामुदायिक निगरानी:

पंचायती राज संस्थाएँ अपने क्षेत्रों में नशीली दवाओं के सेवन और तस्करी की निगरानी के लिए निम्न कार्य कर सकती हैं:

- **नशीली दवाओं के रुझान पर डेटा एकत्र करना :** उपयोग की जा रही दवाओं के प्रकार, उपयोगकर्ताओं की जनसांख्यिकी और सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के बारे में नियमित रूप से जानकारी एकत्र करना।
- **उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करना:** स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों या बाजारों जैसे स्थानों पर निगरानी रखना जहां नशीली दवाओं का उपयोग प्रचलित हो सकता है।
- **स्थानीय नेताओं के साथ कार्य करना :** स्थिति की व्यापक और सही समझ सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों की निगरानी में गांव के बुजुर्गों, शिक्षकों और धार्मिक हस्तियों को शामिल करना

प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना:

एक बार जब नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों की पहचान हो जाती है तो PRIs समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दे सकते हैं। इसमें शामिल हैं:

- **कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित करना :** कुछ क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी या मादक पदार्थों के दुरुपयोग के उच्च स्तर के बारे में स्थानीय पुलिस को सचेत करना।
- **संसाधनों की वकालत करना :** स्वास्थ्य शिविरों, जागरूकता कार्यक्रमों या पुनर्वास सेवाओं जैसे हस्तक्षेपों के लिए सरकारी एजेंसियों से समर्थन का अनुरोध करना।

कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों के साथ सहयोग:

पंचायती राज संस्थाएँ स्थानीय कानून प्रवर्तन संस्थाओ के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाए। वे समुदाय के भीतर नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध नशीली दवाओं के उपयोग को लक्षित करने वाली पहलों का समर्थन कर सकते हैं।

मादक द्रव्यों के सेवन से जुड़ी कानूनी समस्याओं को रोकने तथा कानून के विरुद्ध मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले व्यक्तियों के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए विधि/पुलिस विभागों को शामिल किया जाना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी सोशल मीडिया का उपयोग एक शक्तिशाली साधन बन गया है। यह उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले नेटवर्क द्वारा शोषण किए जाने का भी काम कर सकता है।

एनडीपीएस (The Narcotic Drugs and Psycho tropic Substance Act, 1985)अधिनियम, 1985 कानून के अनुसार चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर मादक दवाओं और मनोविकार नाशक पदार्थों की खेती, उत्पादन, कब्ज़ा, बिक्री, खरीद, व्यापार, आयात, निर्यात, उपयोग और उपभोग पर प्रतिबंध लगाता है। सहायता और उकसाने तथा आपराधिक साजिश जैसे सहायक अपराधों के लिए मुख्य अपराध के समान ही सज़ा दी जाती है।

पंचायती राज संस्थाएँ स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं ताकि समुदाय के भीतर नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध नशीली दवाओं के उपयोग से निपटा जा सके। यह सहयोग नशीली दवाओं के प्रसार को रोकने और कमजोर आबादी को नशे की लत में पड़ने से बचाने के प्रयासों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है।

स्थानीय पुलिस के साथ साझेदारी:

पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय पुलिस के साथ निम्न साझेदारी कर सकती हैं:

- **संयुक्त छापे मारना :** ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को बाधित करने के लिए एक साथ कार्यवाई का आयोजन करना।
- **उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में गश्त करें :** उन क्षेत्रों की पहचान करने और गश्त करने में सहायता करें जहां नशीली दवाओं की गतिविधि होने की जानकारी है।
- **रिपोर्टिंग चैनल बनाएं :** गुमनाम रिपोर्टिंग प्रणालियां स्थापित करना जिससे ग्रामीणों को बदले के भय के बिना नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट करने की सुविधा मिले।

कानून प्रवर्तन पहलों का समर्थन:

पंचायती राज संस्थाएं निम्नलिखित तरीकों से कानून प्रवर्तन पहलों को समर्थन दे सकती है:

- **कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना:** नशीली दवाओं से संबंधित कानूनों और नशीली दवाओं की तस्करी या उपयोग के लिए दंड के बारे में जनता को शिक्षित करना।
- **सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करके कानून प्रवर्तन प्रयासों में सहायता के लिए समुदाय को संगठित करना।

नीति कार्यान्वयन और वकालतः

पंचायती राज संस्थाएँ नशीली दवाओं के सेवन को रोकने के उद्देश्य से स्थानीय नीतियों और विनियमों की वकालत और कार्यान्वयन कर सकते हैं। इसमें नशीली दवाओं के सेवन को हतोत्साहित करने वाले सामुदायिक मानदंडों को बढ़ावा देना या नशीली दवाओं की रोकथाम और उपचार के लिए कानूनी ढांचे को बढ़ाने वाले कानून का समर्थन करना शामिल हो सकता है।

नशा मुक्त कार्यस्थल नीति का विकास और कार्यान्वयन, जो निम्नलिखित पर केंद्रित हो:

- यह स्पष्ट संदेश है कि नशीली दवाओं का प्रयोग निषेद है तथा मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों को स्वेच्छा से सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- महत्वपूर्ण स्थानों पर (IEC) सामग्री वितरित और प्रदर्शित करना।
- पदार्थ निर्भरता से निपटने के लिए प्रोटोकॉल और दिशानिर्देश विकसित करना।
- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उन्हें सहायता प्रदान करके सुधारात्मक कार्रवाई करना।

स्थानीय नीतियों की वकालतः

पंचायती राज संस्थाएं ऐसी नीतियों को अपनाने की वकालत कर सकती हैं जो निम्नलिखित को बढ़ावा दें : –

- **नशा – मुक्त क्षेत्र :** स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों को नशा - मुक्त क्षेत्र के रूप में स्थापित करना।
- **सामुदायिक सहायता प्रणालियाँ :** व्यसन से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए स्थानीय सहायता नेटवर्क के गठन को प्रोत्साहित करना।
- **कानून का समर्थन करना:** जमीनी स्तर पर PRIs निम्नलिखित तरीकों से नशीली दवाओं की रोकथाम पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कानून के कार्यान्वयन का समर्थन कर सकते हैं।
- **जनता को शिक्षित करना :** समुदाय को प्रासंगिक नशीली दवाओं की रोकथाम कानूनों और उनके महत्व के बारे में सूचित करना।
- **कानूनी सुधारों को बढ़ावा देना :** कानूनी सुधारों की वकालत करना जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली दवाओं के उपचार को अधिक सुलभ बनाया जा सके।

समुदाय को एकजुट करना:

सामुदायिक और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देकर, पंचायती राज संस्थाएँ नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ सकारात्मक माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं। स्कूलों/कॉलेजों में खेलकूद, मनोरंजन तथा समुदायों (पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से) में बेरोजगार/स्कूल न जाने वाले युवाओं के बीच युवा ऊर्जा को दिशा देने के लिए योजना/हस्तक्षेप तैयार करने की आवश्यकता है।

- स्कूल/कॉलेज के शिक्षकों/ परामर्शदाताओं के बीच पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नियमित रूप से संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

- समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने, कलंक को दूर करने और विभिन्न हितधारकों को जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करने में उनकी भूमिका पर विभिन्न मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से प्रयास किए जाने चाहिए।
- पंचायती राज संस्थाओं को नशीली दवाओं के सेवन से ठीक हो रहे लोगों और उनके परिवारों के लिए सहायता समूह नेटवर्क स्थापित करने में सहायता करनी चाहिए।
- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन की समस्याओं की शीघ्र पहचान करने की आवश्यकता है।
- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कलंक और भेदभाव को निम्नलिखित तरीकों से दूर किया जाना चाहिए।
- नशीली दवाओं का उपयोग करने वालों के प्रति लोगों का नजरिया बदलने के लिए अभियान चलाना।
- ग्रामीण समुदायों में कलंक को दूर करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना।
- पुलिस कर्मियों या कानूनी सलाहकारों की सहायता से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्राम सभा सदस्यों को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।

वित्तपोषण एवं संसाधन आवंटन:

पंचायती राज संस्थाएँ नशीली दवाओं के सवेन की रोकथाम और उपचार कार्यक्रमों के लिए वित्तीय संसाधनों के आवंटन में सहायता कर सकते हैं। वे स्थानीय प्रयासों को बढ़ाने के लिए सरकारी और गैर – सरकारी स्रोतों से भी सहायता मांग सकते हैं।

सरकार द्वारा PRIs को अवैध खेती से प्रभावित क्षेत्रों में आजीविका के वैकल्पिक साधनों के लिए उदारतापूर्वक धन उपलब्ध कराना चाहिए।

स्थानीय संसाधनों का आवंटन:

पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय संसाधनों को निम्नलिखित के लिए आवंटित कर सकती हैं:

- **नशा रोकथाम कार्यक्रमों का समर्थन करना :** जागरूकता अभियानों, परामर्श केंद्रों और युवा सहभागिता कार्यक्रमों के लिए गांव के कोष को निर्देशित करना।
- **पुनर्वास केन्द्रों को बनाए रखना :** यह सुनिश्चित करना कि मौजूदा पुनर्वास केन्द्रों के पास अपना संचालन जारी रखने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध हो।

बाहरी वित्तपोषण की तलाश:

पंचायती राज संस्थाएं निम्नलिखित तरीकों से भी बाहरी वित्तपोषण प्राप्त कर सकती हैं:

- **सरकारी अनुदान के लिए आवेदन करना :** कई राज्य और केंद्र सरकार के कार्यक्रम नशीली दवाओं की रोकथाम और उपचार पहल के लिए अनुदान प्रदान करते हैं। पंचायती राज संस्थाएं इन योजनाओं से वित्त प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकती है।
- **गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी :** नशीली दवाओं के पुनर्वास और रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करने से समुदाय को अतिरिक्त संसाधन मिल सकते हैं।

अध्याय – 6

पंचायती राज संस्थाओं के साथ गैर सरकारी संगठनो की साझेदारी

नशे की कुरीति से निपटने के लिए गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। गैर सरकारी संगठन विभिन्न विभागों व पंचायती राज संस्थाओं के साथ एकजुट होकर नशे के खिलाफ संगठित रूप से व्यक्ति और समुदाय को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं । पंचायती राज संस्थाओं के साथ गैर सरकारी संगठनो की साझेदारी के महत्वपूर्ण चरण निम्नानुसार हैं:

- **संसाधनों का लाभ उठाना:** पंचायती राज संस्थाएं गैर सरकारी संगठनों, युवा क्लबों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की विशेषज्ञता, नेटवर्क और नवीन दृष्टिकोण से लाभ उठा सकती हैं जबकि वे पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों और बुनियादी ढांचे तक पहुंच बना सकती हैं।
- **बढ़ी हुई पहुंच**: साझेदारी से दोनों संगठनों की पहुंच बढ़ सकती है जिससे वे अधिक व्यापक आबादी की सेवा कर सकेंगे और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मुद्दे को अधिक व्यापक रूप से संबोधित कर सकेंगे।
- **बेहतर कार्यकुशलता:** एक साथ मिलकर काम करने से संगठन प्रयासों के दोहराव से बच सकते हैं और अपने परिचालन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं।
- **बढ़ी हुई जवाबदेही:** साझेदारियां लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साझा जिम्मेदारी बनाकर जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकती है।
- **सामुदायिक सशक्तिकरण:** युवा क्लबों जैसे समुदाय–आधारित संगठनों को शामिल करके, साझेदारी से स्थानीय लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है तथा रोकथाम और उपचार प्रयासों में भाग लेने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण किया जा सकता है।

प्रमुख रणनीतियाँ जो आपको मजबूत साझेदारी बनाने और बनाए रखने में मदद कर सकती हैं:

1. सही साझेदारों की पहचान करें:

मजबूत साझेदारी बनाने में पहला कदम सही भागीदारों की पहचान करना है। ऐसे व्यवसायों या व्यक्तियों की तलाश करना जो आपके मूल्यों को साझा करते हों और आपकी ताकत को पूरक बनाते हों। उनके मूल्यों, उनकी विशेषज्ञता और उनके मौजूदा नेटवर्क जैसे कारकों पर विचार करना। शोध करने के लिए समय निकालें, उनसे संपर्क करने से पहले अपने संभावित भागीदारों को जानें।

2. स्पष्ट लक्ष्य और अपेक्षाएं निर्धारित करें:

साझेदारी में प्रवेश करने से पहले स्पष्ट लक्ष्य और अपेक्षाएँ निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इस साझेदारी के माध्यम से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? प्रत्येक भागीदार की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? प्रत्येक भागीदार किन संसाधनों का योगदान देगा? शुरू से ही स्पष्ट अपेक्षाएँ निर्धारित करके आप गलतफहमियों से बच सकते हैं और अपनी साझेदारी के लिए एक ठोस आधार तैयार कर सकते हैं।

3. **प्रभावी ढंग से संवाद करें:**

प्रभावी संचार मजबूत साझेदारी बनाने और उसे बनाए रखने की कुंजी है। नियमित जांच – पड़ताल के साथ – साथ संचार के लिए खुले चैनल स्थापित करना सुनिश्चित करें। अपनी ज़रूरतों और चिंताओं के बारे में खुलकर बात करें – अपने साथी को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। सक्रिय रूप से सुनें और उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। खुले संचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं – अपनी साझेदारी को मजबूत कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आगे बढ़ने के लिए सभी मिल जुल कर काम करें।

4. **सहयोग करें और नवाचार करें**

साझेदारी का मतलब सहयोग और नवाचार से है। परियोजनाओं पर सहयोग करने, ज्ञान साझा करने, विशेषज्ञता का आदान – प्रदान करने और नए उत्पादों या सेवाओं को सह – निर्माण करने के अवसरों की तलाश करें। प्रयोग को प्रोत्साहित करें और नए विचारों के लिए तत्पर रहें। एक साथ काम करके, आप एक – दूसरे की ताकत का लाभ उठा सकते हैं और दोनों पक्षों के लिए मूल्य बना सकते हैं। साझेदारी का असली कारण यही है, आगे बढ़ने और अपने खुद के ब्रांड और अपने भागीदारों के ब्रांड दोनों को ऊपर उठाने में सक्षम होना।

गैर – सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ साझेदारी

एनजीओ एक ऐसा संगठन है जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है और यह एक गैर – सरकारी संगठन है। जिन लोगों के पास अच्छा पैसा या व्यवसाय है वे एनजीओ के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं। एनजीओ नागरिकों द्वारा स्थापित संगठनों का एक उपसमूह है जिसमें क्लब और एसोसिएशन शामिल हैं जो अपने सदस्यों और अन्य लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं – एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य समाज का कल्याण करना है। एनजीओ बहुत से सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे विधवा महिलाओं को आवास देना, गरीब अनाथों को पढ़ाना, महिलाओं की सुरक्षा करना आदि।

भारत में लगभग 3.4 मिलियन गैर – सरकारी संगठन हैं जो आपदा राहत से लेकर हाशिए पर पड़े और वंचित समुदायों की वकालत तक के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में आंवटित निधि के वितरण में अंतर को कम करने में मदद करते हैं और उन लोगों तक पहुँचते हैं जो अक्सर राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से अछूते रह जाते हैं। वे मानव अधिकारों, श्रम अधिकारों, कानूनी अधिकारों, लैंगिक मुद्दों, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कानूनी सहायता और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित विविध गतिविधियों में भी शामिल होते हैं।

सहयोग का उद्देश्य:

- **विशेषज्ञता और संसाधन:** गैर सरकारी संगठन नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव लाते हैं।
- **कार्यक्रम कार्यान्वयन:** गैर सरकारी संगठन शिक्षा, रोकथाम और पुनर्वास सहित स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करने में मदद कर सकते हैं।

सहयोग के उदाहरण:

- **जागरूकता अभियान:** नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों और उपलब्ध सहायता सेवाओं पर शैक्षिक कार्यशालाएं और अभियान चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी करें।

- **पुनर्वास सेवाएं:** स्थानीय पुनर्वास केंद्रों और परामर्श सेवाओं की स्थापना या समर्थन के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करें।

फ़ायदे:

- तकनीकी विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथ ाओं तक पहुंच।
- एनजीओ नेटवर्क के माध्यम से कार्यक्रम की पहुंच और प्रभावशीलता में वृद्धि ।
- सामुदायिक जागरूकता और सहभागिता में वृद्धि।

चुनौतियाँ:

- पंचायती राज संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों के बीच उद्देश्यों का सरेक्षण सुनिश्चित करना।
- सतत् वित्तपोषण एवं संसाधन सुरक्षित करना।
- मौजूदा स्थानीय सेवाओं के साथ कार्यक्रम एकीकरण का प्रबंधन करना।
- युवा क्लबों के साथ साझेदारी

मजबूत भागीदारी बनाकर और व्यापक और सहयोगात्मक तरीके से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मुद्दे को संबोधित करके, PRIs और CBO अपने समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम पहल की सफलता और स्थिरता के लिए सामुदायिक स्वामित्व महत्वपूर्ण है। जब समुदाय निवेषित और सशक्त महसूस करते हैं तो वे इन कार्यक्रमों का समर्थन करने, उनमें भाग लेने और उनसे लाभ उठाने की अधिक संभावना रखते हैं।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए विशिष्ट रणनीतियाँ

- **सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम:** जागरूकता बढ़ाने और सहायता प्रदान करने के लिए युवाओं को सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल करें।
- **समुदाय – आधारित उपचार केंद्र:** ऐसे समुदाय - आधारित उपचार केंद्र स्थापित करें जो सुलभ और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक हों।
- **हानि न्यूनीकरण पहल:** हानि न्यूनीकरण पहलों का समर्थन करें जैसे कि सुई विनिमय कार्यक्रम और ओवरडोज रोकथाम प्रशिक्षण।
- **समुदाय – आधारित पुलिसिंग**: समुदाय - आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देने और नशीली दवाओं से संबंधित अपराध से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना।

इन रणनीतियों का पालन करके आप सामुदायिक स्वामित्व की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं, सहभागिता बढ़ा सकते हैं और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम की पहल में दीर्घकालिक सफलता की संभावनाओं में सुधार कर सकते हैं।

मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध प्रयासों को जारी रखने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियाँ:

नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ़ सतत प्रयासों के लिए एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो समस्या में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों को संबोधित करता है। यहाँ कुछ दीर्घकालिक रणनीतियाँ दी गई हैं:

1. रोकथाम और शिक्षा

- **व्यापक शिक्षा**: नशीली दवाओं के सेवन/उपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम रणनीतियों पर जानकारी प्रदान करने के लिए स्कूलों, समुदायों और कार्यस्थलों में व्यापक शिक्षा कार्यक्रम लागू करें।
- **जीवन कौशल प्रशिक्षण:** व्यक्तियों को जीवन कौशल जैसे समस्या समाधान, निर्णय लेने और सामना करने की क्षमता प्रदान करना ताकि उन्हें साथियों के दबाव का प्रतिरोध करने और स्वस्थ विकल्प चुनने में मदद मिल सके।
- **प्रारंभिक हस्तक्षेप:** जोखिमग्रस्त व्यक्तियों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम प्रदान करना ताकि संभावित समस्याओं का समाधान उनके बढ़ने से पहले किया जा सके।

2. उपचार और पुनर्वास

- **सुलभ उपचार:** विषहरण, परामर्श और पुनर्वास सेवाओं सहित किफायती और प्रभावी उपचार कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- **देखभाल के बाद सहायता:** व्यक्तियों को संयम बनाए रखने और समाज में पुन: एकीकृत होने में सहायता करने के लिए निरंतर देखभाल के बाद सहायता प्रदान करना।
- **औषधि–सहायता उपचार:** व्यक्तियों की लालसा को नियंत्रित करने और वापसी के लक्षणों को कम करने में मदद करने के लिए, जब उपयुक्त हो औषधि–सहायता उपचार (MAT) का उपयोग करें।

3. हानि में कमी

- **सुई विनिमय कार्यक्रम:** नशीली दवाओं का इंजेक्शन लेने वाले लोगों में एचआईवी और हेपेटाइटिस सी के संचरण को कम करने के लिए सुई विनिमय कार्यक्रम लागू करें।
- **ओवरडोज की रोकथाम:** ओवरडोज की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना तथा नालोक्सोन तक पहुंच उपलब्ध कराना जो एक ऐसी दवा है जो ओपिओइड ओवरडोज को उलट सकती है।
- **हानि न्यूनीकरण सेवाएं:** नशीली दवाओं के उपयोग के नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिए हानि न्यूनीकरण सेवाएं जैसे सुरक्षित इंजेक्शन सुविधाएं और परामर्श प्रदान करें।

4. कानून प्रवर्तन और सामुदायिक पुलिसिंग

- **स्मार्ट पुलिसिंग:** स्मार्ट पुलिसिंग रणनीतियों को अपनाएं जो केवल प्रवर्तन के बजाय रोकथाम, सामुदायिक सहभागिता और समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करें।
- **सामुदायिक पुलिसिंग:** कानून प्रवर्तन एजेंसियों और समुदायों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना ताकि विश्वास का निर्माण हो सके और नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान सहयोगात्मक रूप से किया जा सके।
- **लक्षित प्रवर्तन:** उच्च जोखिम वाले क्षेत्रें और मादक पदार्थों की तस्करी और वितरण में शामिल व्यक्तियों पर प्रवर्तन प्रयासों को प्राथमिकता दें।

5. अनुसंधान और नीति विकास

- **साक्ष्य – आधारित हस्तक्षेप:** प्रभावी रोकथाम, उपचार और हानि न्यूनीकरण हस्तक्षेपों की पहचान करने के लिए अनुसंधान का समर्थन करना।
- **नीति विकास:** ऐसी नीतियों की वकालत करें जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मूल कारणों जैसे गरीबी, असमानता और अवसरों की कमी को संबोधित करें।
- **डेटा – संचालित निर्णय लेना:** नीतिगत निर्णय लेने और हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए डेटा का उपयोग करें।

6. सामुदायिक सहभागिता और सशक्तिकरण

- **समुदाय – आधारित पहल:** समुदाय – आधारित पहलों का समर्थन करें जो स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं, वैकल्पिक गतिविधियाँ प्रदान करते हैं और सामाजिक नेटवर्क को मजबूत करते हैं।
- **सशक्तिकरण कार्यक्रम:** नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम और उपचार प्रयासों का स्वामित्व लेने के लिए समुदायों को सशक्त बनाना।
- **वकालत और नीति परिवर्तन:** समुदाय के सदस्यों को नशीली दवाओं के सेवन के मुद्दे को संबोधित करने वाले नीतिगत परिवर्तनों की वकालत करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- इन दीर्घकालिक रणनीतियों को क्रियान्वित करके, हम नशीली दवाओं के सेवन से निपटने और स्वस्थ समुदायों के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं।

अध्याय – 7

सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण अंर्तगत थीम 2 की नशा निवारण में भूमिका

थीम 2 स्वास्थ्य/स्वस्थ पंचायत का उद्देश्य ग्राम पंचायतों और सामुदायिक नेताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली दवाओं के सेवन से निपटने के लिए प्रभावी, समुदाय – आधारित कार्य योजनाओं को विकसित करने और लागू करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करना है। स्वस्थ ग्राम पंचायत से अभिप्राय व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ – साथ उसके मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने से भी है। यह एलएसडीजी थीम 2 के अनुरूप है जो गांव की आबादी की भलाई को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करके ''स्वस्थ ग्राम पंचायत'' बनाने पर केंद्रित है।

ग्रामीण समुदायों में नशीली दवाओं के सेवन की समस्या

नशीली दवाओं का सेवन केवल शहरी समस्या नहीं है यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल चुकी है जिससे गांवों का सामाजिक – आर्थिक ढांचा प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण समुदायों के समग्र विकास और स्थिरता के लिए इस समस्या से निपटना महत्वपूर्ण विषय है। मादक द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान किए बिना एक स्वस्थ ग्राम पंचायत का निर्माण नहीं किया जा सकता।

ग्राम पंचायत प्रणाली – एक अवलोकन

ग्राम पंचायत भारत में स्थानीय स्वशासन की आधारशिला है जो गांव स्तर पर प्राथमिक निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करती है तथा निम्न उद्देश्यों की पूर्ती के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है:

- विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन।
- सामुदायिक मुद्दों को संबोधित करना।
- आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

एलएसडीजी रूपरेखा और ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए इसकी प्रासंगिकता

स्थानीय सतत विकास लक्ष्य (एलएसडीजी) स्थानीय स्तर पर विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार किए गए हैं जो वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्रतिबिंबित करते हैं। थीम 2 विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में स्वास्थ्य पर जोर देता है, यह मानते हुए कि एक स्वस्थ आबादी अन्य विकासात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौलिक है।

स्वस्थ ग्राम पंचायत के उद्देश्य

- **स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाना:** यह सुनिश्चित करना कि सभी ग्रामीणों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मिले।

- **निवारक उपायों को बढ़ावा दें:** बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए कार्यक्रमों को लागू करें।
- **स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों पर ध्यान देना:** शिक्षा, आय और पर्यावरण जैसे कारकों से निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना जो स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करते हैं।
- **मादक द्रव्यों के सेवन का उन्मूलन:** नशीली दवाओं और शराब के सेवन को समाप्त करने के लिए रणनीति विकसित करना।

नशीली दवाओं का दुरुपयोग: ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती चिंता

नशीली दवाओं के दुरुपयोग से तात्पर्य उन पदार्थों के आदतन उपयोग से है जो मानसिक स्थिति को बदल देते हैं जिससे लत लग जाती है, जो एक दीर्घकालिक बार-बार होने वाला विकार है, जिसमें प्रतिकूल परिणामों के बावजूद नशीली दवाओं की बाध्यकारी खोज और उपयोग की विशेषता होती है।

गांवों में आमतौर पर दुरुपयोग किए जाने वाले पदार्थों के प्रकार :

- **शराब:** अक्सर स्थानीय रूप से बनाई गई शराब जैसे अरक या ताड़ी।
- **तम्बाकू उत्पाद:** इसमें चबाने वाला तम्बाकू, बीड़ी और सिगरेट शामिल हैं।
- **ओपिओइड्स:** जैसे अफीम और दर्द निवारक दवाएं।
- **कैनाबिस:** स्थानीय रूप से भांग, गांजा या चरस के नाम से जाना जाता है ।
- **साँस द्वारा शरीर में जाने वाले पदार्थ:** गोंद या पेट्रोल जैसे पदार्थ, विशेषकर युवाओं में।

गांवों में नशीली दवाओं के सेवन के मूल कारण

सामाजिक – आर्थिक कारक

- **गरीबी:** सीमित वित्तीय संसाधन निराशा और मादक द्रव्यों का सेवन पलायन का कारण बन सकता है।
- **बेरोजगारी:** नौकरी के अवसरों की कमी से निष्क्रिय समय और नशीली दवाओं के उपयोग की प्रवृत्ति बढ़ती है।
- **आय असमानता:** असमानताएं सामाजिक तनाव और व्यक्तिगत असंतोष का कारण बन सकती हैं।
- **सामाजिक स्वीकृति:** कुछ समुदायों में शराब और कुछ नशीले पदार्थ पारंपरिक समारोहों का हिस्सा हैं।
- **अनुष्ठानिक उपयोग:** धार्मिक या सांस्कृतिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त पदार्थ आदतन उपयोग का कारण बन सकते हैं।

मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक ट्रिगर

- **तनाव और चिंता:** वित्तीय बोझ, पारिवारिक समस्याओं या सामाजिक दबावों के कारण।
- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याए:** अवसाद और अन्य विकार मादक द्रव्यों के सेवन के माध्यम से स्व-चिकित्सा की ओर ले जा सकते हैं।

शिक्षा और जागरूकता का अभाव

- **नतीजों की अज्ञानता:** दवाओं के हानिकारक प्रभावों के बारे में सीमित जानकारी।
- **गलत सूचना:** पदार्थों के हानिकारक या लाभदायक होने के बारे में मिथक और गलत धारणाएं।
- समुदाय पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग का प्रभाव।
- स्वास्थ्य पर प्रभाव।
- **शारीरिक स्वास्थ्य:** लीवर रोग, श्वसन संबंधी समस्याएं, सुई साझा करने से एचआईवी/एड्स।
- **मानसिक स्वास्थ्य:** अवसाद, चिंता और मनोवृति की घटनाओं में वृद्धि।
- **मृत्यु दर:** अधिक मात्रा में दवा लेने या स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण आकस्मिक मृत्यु की उच्च दर।

आर्थिक परिणाम

- **उत्पादकता हानि:** अनुपस्थिति या खराब प्रदर्शन के कारण कार्यबल की दक्षता में कमी।
- **परिवारों पर वित्तीय दबाव:** घर की आवश्यक वस्तुओं के स्थान पर नशीले पदार्थों पर धन खर्च किया जाना।
- **स्वास्थ्य देखभाल लागत:** स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोझ बढ़ना।

सामाजिक और पारिवारिक व्यवधान

- **पारिवारिक विघटन:** घरेलू हिंसा, जिम्मेदारियों की उपेक्षा।
- **बाल उपेक्षा:** बच्चों की शिक्षा और कल्याण पर प्रभाव।
- **सामुदायिक कलह:** ग्रामीणों के बीच विश्वास और सहयोग की भावना में कमी।
- अपराध और कानूनी मुद्दे।
- **अपराध दर में वृद्धि:** नशे की लत को बढ़ावा देने के लिए चोरी, हिंसा और अवैध गतिविधियाँ।
- **अत्यधिक बोझ से दबी कानूनी प्रणाली:** स्थानीय कानून प्रवर्तन और न्यायिक संसाधनों पर दबाव।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने में ग्राम पंचायतों की भूमिका

- **शासन और नीति कार्यान्वयन**
- **उपनियम और विनियम:** पदार्थों की बिक्री और खपत को प्रतिबंधित करने के लिए ग्राम स्तर पर नियम बनाएं।

- **नीति वकालत:** जिला या राज्य स्तर पर समर्थन और संसाधनों के लिए पैरवी करना।

सामुदायिक संसाधन जुटाना

- **मानव संसाधन:** स्वयंसेवकों, युवा समूहों और सामुदायिक नेताओं का लाभ उठाएं।
- **वित्तीय संसाधन:** गांव के बजट से धन आवंटित करें या बाहरी वित्तपोषण की व्यवस्था करें।

स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास तक पहुंच को सुगम बनाना

- **स्वास्थ्य शिविर:** नियमित चिकित्सा जांच और परामर्श सत्र आयोजित करें।
- **पुनर्वास केंद्र:** स्थानीय सुविधाएं स्थापित करें या निकटतम केंद्रों से जुड़ें ।

वकालत और नेतृत्व

- **जागरूकता अभियान:** समुदाय को शिक्षित करने के लिए पहल का नेतृत्व करें।
- **रोल मॉडलिंग:** स्थानिय नेता नशा – मुक्त जीवनशैली को बढ़ावा देकर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
- समुदाय – आधारित कार्य योजना विकसित करना।

थीम 2 स्वस्थ पंचायत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करना

- **टास्क फोर्स का गठन करें:** स्वस्थ पंचायत के लक्ष्य को पूर्ण करने के जिए योजना तैयार करना।
- **उद्देश्य परिभाषित करें:** स्पष्ट रूप से बताएं कि योजना का लक्ष्य क्या है।

सामुदायिक मूल्यांकन का संचालन करना

- **डेटा संग्रहण:** जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण, साक्षात्कार और फोकस समूहों का सहयोग लेना।
- **समस्या क्षेत्रों की पहचान करना:** उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों और कमजोर आबादी को चिन्हित करना।
- **संसाधन मानचित्रण:** उपलब्ध संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं का आकलन करना।
- **योजना एवं रणनीति विकास विकसित करें:** लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों और हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार करना व उसका कार्यान्वयन करना।
- **जिम्मेदारियाँ सौंपें:** स्थानीय व्यक्तियों द्वारा ग्राम सभा में समितियों का गठन करना व उन्हें जिम्मेदारियां सौंपना

थीम – 2 के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कार्यान्वयन हेतू चरण

- **कार्यवाही चरण:** प्रत्येक गतिविधि को निष्पादित करने के लिए एक समयसीमा का पालन करना।
- **सामुदायिक सहभागिता:** कार्यक्रमों और पहलों में ग्रामीणों को शामिल करना।
- **संसाधन आवंटन**: सुनिश्चित करना कि आवश्यक सामग्री और धन बजट का प्रावधान किया जाए।

निगरानी और मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार करना

- **संकेतक निर्धारित करें:** निर्धारित करना कि लक्ष्य की सफलता को कैसे मापा जाएगा।
- **नियमित रिपोर्टिंग:** गतिविधियों और परिणामों का रिकॉर्ड रखना।
- **फीडबैक तंत्र:** लक्ष्यों की पूर्णता को जाँचने के लिए समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।

प्रभावी योजना के लिए उपकरण और तकनीक

- **SWOT विश्लेषण:** (Strength, Weakness, Opportunities, Threat) (ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे)।
- **समस्या वृक्ष विश्लेषण:** मूल कारणों और प्रभावों को समझें।
- **तार्किक रूपरेखा दृष्टिकोण:** योजना को व्यवस्थित रूप से संरचित करें।

सतत् विकास के लक्ष्यों की स्थानीयों करण में थीम 2 के लक्ष्यों को पूर्ण करने के साथ-साथ थीम-7 सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव के अन्तर्गत आम जनों को स्वास्थ विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व अन्य विभागों कि योजनाओं से लाभान्वित करवाना भी इसमें महत्वपूर्ण सहयोग दे सकता है।

अध्याय – 8

नशा मुक्ति पर पंचायत स्तर पर विचार – विमर्श

1 पंचायत स्तर पर नशा मुक्ति के उपाय

परिदृश्य :

यह रोल प्ले एक काल्पनिक गांव 'सुरजपुर' में घटित होता है। हाल के दिनों में गांव के युवाओं में नशे की लत और मादक पदार्थों का सेवन तेजी से बढ़ रहा है। यह समस्या न केवल परिवारों पर भारी पड़ रही है बल्कि गांव के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी कमजोर कर रही है। पंचायत ने इसे रोकने और नशा मुक्ति के लिए एक बैठक का आयोजन किया है।

भूमिकाएँ:

1. श्री राम सिंह, पंचायत प्रधान – जिन पर गांव की भलाई और विकास की जिम्मेदारी है।
2. श्रीमती नीता देवी, सामाजिक कार्यकर्ता – गांव में महिलाओं और बच्चों के लिए काम करने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता जो नशे की समस्या को लेकर बहुत चिंतित है।
3. श्री राजेश युवा प्रतिनिधि, गांव के युवाओं का प्रतिनिधि – जिसने हाल ही में अपने एक दोस्त को नशे की लत के कारण खो दिया।
4. श्री रामेश्वर प्रसाद, स्कूल शिक्षक /गांव के स्कूल के शिक्षक – जो बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित हैं।
5. डॉ. सुधीर शर्मा, गांव के चिकित्सक /गांव के डॉक्टर – जो नशा करने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
6. इंस्पेक्टर रमेश शर्मा, पुलिस प्रतिनिधि/पुलिस अधिकारी – जो गांव में कानून – व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

परिदृश्य:

पंचायत की बैठक

पंचायत प्रधान: ''सभी को नमस्कार। हमें आज एक गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए एकत्रित किया गया है। हमारी पंचायत के युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है। यह न केवल हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकारमय कर रही है बल्कि गांव की शांति और व्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है। हमें इस पर मिलकर काम करना होगा। नीता देवी जी सामाजिक कार्यकर्ता, आप इस बारे में क्या कहेंगे ?''

सामाजिक कार्यकता: ''प्रधान जी, यह सच है कि नशे की लत हमारे युवाओं को तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। मैंने कई परिवारों को देखा है जो इस समस्या से तबाह हो रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। हमें जागरूकता फैलानी होगी और नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे।''

युवा प्रतिनिधि: ''मैं भी इस समस्या का साक्षी हूं। मेरे दोस्त ने नशे की लत के कारण अपनी जान गंवा दी। हम युवा इस जाल में फंस रहे हैं क्योंकि हमारे पास रोजगार के अवसर कम हैं और हमें यह नहीं पता कि अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में कैसे लगाएं। हमें रोजगार और खेलकूद जैसी गतिविधियों की जरूरत है ताकि हम सही रास्ते पर आ सकें।''

स्कूल शिक्षक: ''मैं अपने स्कूल में भी देख रहा हूं कि बच्चों पर इसका असर पड़ रहा है। पढ़ाई में रुचि कम हो रही है और बच्चों के बीच अनुशासनहीनता बढ़ रही है। हम स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चला सकते हैं और माता-पिता को भी इसमें शामिल करना होगा ताकि वे अपने बच्चों पर ध्यान दें।''

गांव के चिकित्सक: ''नशे के स्वास्थ्य पर गहरे प्रभाव होते हैं। शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों में मानसिक विकार, लीवर व किडनी की समस्याएं और यहां तक कि जानलेवा बीमारियां भी शामिल हैं। हमें गांव में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना चाहिए और नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में जानकारी फैलानी चाहिए।''

इंस्पेक्टर वर्मा पुलिस प्रतिनिधि : ''हमारी ओर से हमने कई बार छापे मारे हैं लेकिन मादक पदार्थों की आपूर्ति जारी है। इसमें गांव के कुछ लोग भी शामिल हैं जो बाहर से ड्रग्स मंगवाते हैं। हमें इसके लिए सख्त कानूनी कदम उठाने होंगे और गांववासियों को भी इसमें सहयोग देना होगा ताकि इन आपराधिक तत्वों को पकड़ा जा सकें।''

समाधान और कार्यवाही योजना:

1. **जागरूकता अभियान:** पंचायत में हर महीने नशे से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें डॉक्टर्स, पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से नुक्कड़ नाटक, कार्यशालाएं और पोस्टर अभियान चलाए जाएंगे।

2. **खेलकूद और रोजगार के अवसर:** गांव में खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पंचायत की ओर से एक खेल के मैदान का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं को कौशल विकास के लिए सरकारी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलें।

3. **नशा मुक्ति केंद्र:** आस-पास के नशा मुक्ति केंद्रों की जानकारी हर परिवार तक पहुंचाई जाएगी और जिन युवाओं को नशे की लत है उन्हें वहां भर्ती कराने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

4. **कानूनी सख्ती:** पुलिस और पंचायत मिलकर गांव में मादक पदार्थों की आपूर्ति करने वालों पर कड़ी निगरानी रखेंगे। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ग्रामीणों से सहयोग की अपील की जाएगी।

5. **स्वास्थ्य शिविर:** नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर लगाए जाएंगे जहां डॉक्टर युवाओं और अन्य ग्रामीणों की जांच करेंगे और नशे से होने वाले शारीरिक नुकसान के बारे में जानकारी देंगे।

2. पंचायत स्तर पर नशा मुक्ति के उपाय

पृष्ठभूमि:

यह रोल प्ले एक काल्पनिक गांव ''देवपुर'' में घटित होता है। राजापुर (काल्पनिक गांव) नामक एक छोटे से गाँव में हाल के दिनों में नशे की लत, विशेषकर युवाओं के बीच तेजी से बढ़ रही है। पंचायत, जिसका नेतृत्व प्रधान कर रही हैं, इस समस्या और इसके परिवारों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और गाँव के समग्र विकास पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से अवगत हो चुकी है।

मुख्य पात्र:

1. **मीना देवी, पंचायत प्रधान:** पंचायत की प्रधान, जो नशे की समस्या को हल करना चाहती हैं लेकिन शुरुआत कैसे करें, इस बारे में अनिश्चित हैं।
2. **रवि, युवा:** 20 वर्षीय गाँव का निवासी, जिसने हाल ही में अपनी ड्रग्स की लत के कारण कॉलेज छोड़ दिया।
3. **युवा के माता – पिता:** अपने बेटे के व्यवहार और नशे के परिवार पर नकारात्मक प्रभाव से चिंतित।
4. **डॉ. अनिल, गांव के चिकित्सक:** स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी, जो नशे से संबंधित बढ़ते स्वास्थ्य मुद्दों को लेकर चिंतित हैं।
5. **पंचायत सदस्य:** गाँव की भलाई के लिए निर्णय लेने वाले स्थानीय नेता।
6. **स्थानीय NGO कार्यकर्ता:** एक NGO का प्रतिनिधि जो नशा मुक्ति और पुनर्वास पर काम करता है।

स्थिति का अवलोकन:

देवपुर (काल्पनिक गांव) में विशेष रूप से युवा पुरुषों के बीच नशे की लत के कारण चोरियां बढ़ रही है और स्कूल में अनुपस्थिति की वृद्धि हो रही है। पंचायत को ग्रामीणों से शिकायतें मिल रही हैं लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकला है।

रोल प्ले परिदृश्य: पंचायत कार्यालय में बैठक

प्रधान, बैठक की अध्यक्षता करते हुए): ''सभी का धन्यवाद जो आज यहाँ उपस्थित हुए। हम आज गाँव में बढ़ती नशे की समस्या पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यह समस्या हमारे युवाओं, हमारे परिवारों और हमारे पूरे समुदाय को प्रभावित कर रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अगर आपके पास अनुभव या सुझाव हैं तो कृपया साझा करें।''

नशे से पीड़ित युवा के पिता : ''मेरा बेटा एक होनहार छात्र था। वह शहर में कॉलेज जा रहा था लेकिन जब से उसने नशे में फँसना शुरू किया उसने कक्षाओं में जाना बंद कर दिया है और गलत संगति में पड़ गया है। हमें नहीं पता कि मदद के लिए कहाँ जाएँ।''

स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी: ''यह एक गंभीर समस्या है। मैंने क्लिनिक में नशे की लत के कारण स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे कई युवाओं को देखा है। हमें गाँव में जागरूकता और नशा मुक्ति सेवाओं की आवश्यकता है।''

नशे की लत से जूझता हुआ युवक: ''नशा छोड़ना आसान नहीं है। मेरे दोस्त भी इसमें फँसे हुए हैं और हमारे पास रोजगार या अन्य गतिविधियों के अवसर नहीं हैं जो हमें व्यस्त रखें। हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता इसलिए हम इसमें उलझ जाते हैं।''

स्थानीय NGO कार्यकर्ता नशा मुक्ति कार्यक्रम की वकालत करते हुए: ''नशा एक बीमारी है जिसके लिए चिकित्सा और मानसिक उपचार दोनों की आवश्यकता होती है। हम नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र चलाते हैं और पंचायत के समर्थन से हम जागरूकता शिविर, परामर्श सेवाएँ और नशा छोड़ने में मदद कर सकते हैं। लेकिन हमें गाँव के सक्रिय सहयोग की ज़रूरत है।''

पंचायत सदस्य 1 (समुदाय की चिंताओं को व्यक्त करते हुए): ''हमें इस समस्या की जड़ तक भी जाना होगा। हमारे युवा नशे की ओर क्यों बढ़ रहे हैं क्या यह बेरोजगारी, शिक्षा की कमी या बाहरी प्रभावों के कारण है? हमें एक दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है।''

पंचायत प्रधान: ''मैं सहमत हूँ। हमें इस समस्या को कई स्थल/जगह से हल करना होगा। मैं प्रस्ताव करती हूँ कि हम एक समिति का गठन करें जो NGO के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाए। हमें पुलिस की भी मदद लेनी होगी ताकि नशे के सप्लायर्स पर नज़र रखी जा सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें उन लोगों की मदद करनी होगी जो नशा छोड़ना चाहते हैं।

पंचायत प्रधान स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी से पूछते हुए – क्या आप स्वास्थ्य शिविर स्थापित करने में मदद कर सकते हैं?''

स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी: ''हाँ, मैं प्रारंभिक जांच के लिए एक शिविर का आयोजन कर सकता हूँ और जिन्हें ज़रूरत हो उन्हें निकट के नशा मुक्ति केंद्र भेज सकता हूँ। हमें स्कूलों में भी जागरूकता फैलानी होगी ताकि बच्चे नशे के खतरों को समझ सकें।''

पंचायत सदस्य 2: ''शायद हम कौशल विकास कार्यक्रम या खेलकूद की गतिविधियाँ शुरू कर सकते हैं ताकि युवा उत्पादक कार्यों में संलग्न हो सकें।''

पंचायत प्रधान: ''यह एक अच्छा विचार है। हम जिला प्रशासन से इन कार्यक्रमों के लिए धनराशि की भी माँग करेंगे। यदि हम सभी मिलकर काम करें तो समाधान निकाल सकते हैं। आइए, आज से ही इस दिशा में ठोस कदम उठाएँ।''

परिणाम:

पंचायत ने एक बहुआयामी योजना बनाने का निर्णय लिया:

1. **जागरूकता अभियान:** पंचायत NGO की मदद से पूरे गाँव में नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी।
2. **स्वास्थ्य शिविर:** स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी नियमित स्वास्थ्य जांच करेंगे और नशा मुक्ति केंद्रों की जानकारी देंगे।
3. **युवाओं की भागीदारी:** युवाओं को व्यस्त रखने और रोजगार के अवसर देने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण और खेल कार्यक्रम शुरू किए जाएँगे।
4. **पुलिस की भागीदारी:** पंचायत पुलिस के साथ मिलकर नशे की आपूर्ति करने वालों पर नज़र रखेगी।
5. **परिवार परामर्श:** NGO परिवार परामर्श की सेवाएँ भी देगा ताकि माता-पिता और नशा पीड़ीत अपने पुनर्वास की चुनौतियों को प्रबंधित कर सकें।

चर्चा के प्रश्न:

1. पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में नशे की समस्या को हल करने में केंद्रीय भूमिका कैसे निभा सकती है?
2. गाँव स्तर पर नशा मुक्ति कार्यक्रम लागू करने में मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?
3. नशा मुक्त होने के बाद व्यक्तियों को पुन: समाज में समाहित करने में समुदाय किस प्रकार सहयोग कर सकता है?
4. युवाओं को नशे की ओर जाने से रोकने के लिए कौन-कौन से निवारक उपाय लागू किए जा सकते हैं?

3 शीर्षक: ''स्वस्थ गांव के लिए एकजुट हों: स्कूल और ग्राम पंचायत नशे की लत के खिलाफ''

पात्र:

1. श्री विनोद कुमार - ग्राम पंचायत प्रधान
2. श्री देवराज कुमार - स्कूल के प्रधानाचार्य
3. श्री राहुल - छात्र नेता
4. डॉ. अनिल - स्वास्थ्य कार्यकर्ता
5. श्री दिनेश वर्मा - स्थानीय समुदाय सदस्य

दृश्य: यह रोल प्ले एक काल्पनिक गांव ''सुरजपुर'' में घटित होता है। ग्राम पंचायत और स्कूल प्राधिकरण मिलकर युवाओं में नशे की लत का सामना करने के लिए एक स्वस्थ गांव को बढ़ावा देते हैं।

चिंताएँ और जागरूकता

- **पंचायत प्रधान:** ''आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने गांव में नशे की लत पर चर्चा करेंगे।''
- **स्कूल के प्रधानाचार्य:** ''नशे की लत छात्रों, उनके स्कूल के काम और उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है।''
- **छात्र नेता:** ''मेरे स्कूल के साथी नशे का प्रयोग कर रहे हैं। हमें मदद की जरूरत है।''
- **स्वास्थ्य कार्यकर्ता:** ''संदिग्ध पदार्थों का उपयोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है।''
- **स्थानीय समुदाय सदस्य:** ''नशे की लत परिवारों और हमारे समुदाय को प्रभावित करती है।''

समाधान और साझेदारी

- **पंचायत प्रधान:** ''हम नशे की लत को रोकने के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं?''
- **स्कूल प्रधानाचार्य** ''हम पाठ्यक्रम में नशे की लत की शिक्षा को शामिल कर सकते है ताकि बच्चों को नशे के प्रभाव के बारे मे जानकारी दी जा सकती।''
- छात्र नेता: ''हमें सहयोग समूह और परामर्श की आवश्यकता है।''
- **स्वास्थ्य कार्यकर्ता:** ''कार्यशालाएँ, जागरूकता अभियान और संसाधानों का वितरण भी किया जा सकता है।''
- **स्थानीय समुदाय सदस्य:** ''सामुदायिक कार्यक्रम और परिवारों की भागीदारी से भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।''

कार्य योजना और प्रतिबद्धता

- **पंचायत प्रधान:** ''आइए कार्यों को सौंपें और एक साथ काम करें।''
- **स्कूल प्रधानाचार्य:** ''मैं नशे की लत को शिक्षा में शामिल करूंगा।''
- **छात्र नेता:** ''मैं सहयोग समूहों का नेतृत्व करूंगा।''
- **स्वास्थ्य कार्यकर्ता:** ''मैं कार्यशालाएँ और संसाधन प्रदान करूंगा।''
- **स्थानीय समुदाय सदस्य:** ''मैं सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करूंगा।''

एकता और प्रगति

- **पंचायत प्रधान:** ''एक साथ, हम एक स्वस्थ गांव बनाएंगे।''

- **सभी:** ''हम अपनी भूमिकाओं और नियमित बैठकों के लिए प्रतिबद्ध हैं।''

मुख्य संदेश:

1. सहयोग नशे की लत को रोकता है।
2. शिक्षा और जागरूकता युवाओं को सशक्त बनाती हैं।
3. समुदाय की भागीदारी भलाई को बढ़ावा देती है।
4. ग्राम पंचायत का समर्थन संसाधानों का आवंटन सक्षम बनाता है।

4 शीर्षक: ''युवाओं को सशक्त बनाना, स्वस्थ पंचायत का निर्माण करना''

पात्र

1. विनोद कुमार – पंचायत प्रधान
2. संगीता देवी – पंचायत सदस्य (1)
3. दीपक कुमार – पंचायत सदस्य (2)
4. अजय – स्थानीय शिक्षक
5. स्थानीय बच्चों के माता – पिता

दृश्य: पंचायत बैठक हॉल

चिंताएँ और चर्चा

- **पंचायत प्रधान:** ''आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे: हमारे युवाओं में नशे की लत।''
- **पंचायत सदस्य (1) :** ''हमारे बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं। हमें कार्रवाई करनी चाहिए।''
- **पंचायत सदस्य (2) :** ''हमें उनके मन को ड्रग्स से दूर करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं?''
- **स्थानीय शिक्षक:** ''शिक्षा और अतिरिक्त गतिविधियाँ मदद कर सकती हैं।''
- **माता – पिता:** ''मेरा बच्चा बहुत समय स्क्रीन पर बिताता है। हमें वैकल्पिक गतिविधियों की जरूरत है।''

समाधान का विचार

- **पंचायत प्रधान** ''आइए समाधान खोजते हैं। आपके पास क्या विचार हैं?''
- **पंचायत सदस्य (1) :** ''हम खेलों और गतिविधियों के लिए एक खेल का मैदान बना सकते हैं।''

- **पंचायत सदस्य (2) :** ''और पढ़ाई और ज्ञान के लिए एक पुस्तकालय भी बना सकते है।''
- **स्थानीय शिक्षक:** ''संगीत और नृत्य कक्षाएँ रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकती हैं।''
- **माता – पिता:** ''योग और ध्यान मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं।''
- **पंचायत प्रधान:** ''ये सब उत्तम विचार है चलिए हम इन्हें लागू करते हैं और अपने बच्चों को एक स्वस्थ पर्यावरण देने का प्रयास करते है''

कार्य योजना

- **पंचायत प्रधान:** ''आइए कार्यों और जिम्मेदारियों को सौंपें और एक साथ काम करें।''
- **पंचायत सदस्य (1) :** ''मैं खेल का मैदान बनाने की देखरेख करूंगा।''
- **पंचायत सदस्य (2) :** ''मैं पुस्तकालय की स्थापना की व्यवस्था करूंगा।''
- **स्थानीय शिक्षक:** ''मैं संगीत और नृत्य कक्षाओं का आयोजन करूंगा।''
- **माता – पिता:** ''हम योग और ध्यान सत्र के आयोजन में मदद करेंगे।''

निष्कर्ष

- **पंचायत प्रधान:** ''एक साथ, हम अपने बच्चों के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाएंगे।''
- **पंचायत सदस्य (1) :** ''हम प्रगति की निगरानी करेंगे और आवश्यकतानुसार समायोजन करेंगे।''
- **पंचायत सदस्य (2) :** ''हमें हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाना है।''
- **स्थानीय शिक्षक:** ''शिक्षा और गतिविधियाँ उन्हें व्यस्त रखेंगी और नशे के पदार्थों से उन्हें बचाएगी।''

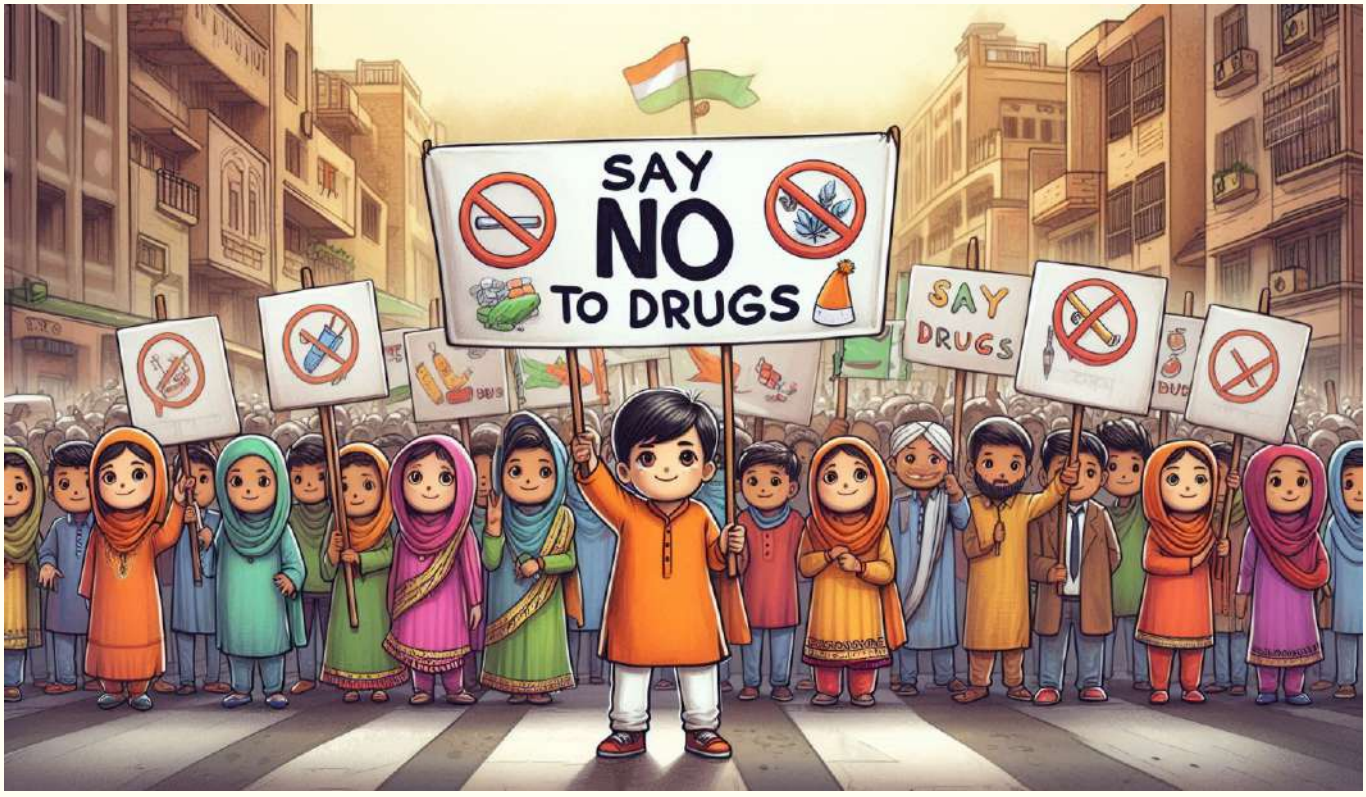

अध्याय – 9

केस स्टडी

केस स्टडी – 1

हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश: नशा करने वालों के परिवारों को महिला मंडल द्वारा निर्धारित जुर्माना अदा करना होगा तथा नशा मुक्त परिवारों को आदर्श परिवार का खिताब दिया जाएगा। यह आदेश यहां लम्बलू ग्राम पंचायत ने जारी किया है।

हमीरपुर शहर के उपनगरीय क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के पास स्थित लंबलू पंचायत का नेतृत्व करतार सिंह चौहान करते हैं। पूर्व शिक्षाविद् चौहान ने पंचायत वार्डो में नशामुक्ति समितियों का गठन किया है तथा महिला कार्यकर्ताओं को नशा उन्मूलन की जिम्मेदारी सौंपी है।

चौहान ने कहा, ''जिन परिवारों के लोग नशे के आदी हैं वे महिला मंडल द्वारा निर्धारित जुर्माना अदा करेंगे।'' उन्होंने कहा कि जिन परिवारों में कोई नशा करने वाला व्यक्ति नहीं है, जिनमें धूम्रपान से परहेज करने वाले लोग भी शामिल हैं, उन्हें ''आदर्श परिवार'' की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। पंचायत के आदेश के अनुसार, समितियों की प्रभारी महिलाएँ घर-घर जाकर महिलाओं से शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर एकत्रित कर रही हैं कि उनके घर में कोई भी व्यक्ति धूम्रपान या अन्य नशीले पदार्थो का सेवन नहीं करता है।

संकल्प पत्र पंचायत भवन कार्यालय में जमा कराने होंगे। आदेश में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति नशे का आदी पाया जाता है तो महिला कर्मियों को पंचायत को आश्वस्त करना होगा कि ऐसे लोगों को तय समय में नशे की लत से छुटकारा दिलाया जाएगा।

इससे पहले भी चौहान ने प्रशासन और सरकारी अधिकारियों की मदद से नशे के खिलाफ अभियान चलाया था। उन्होंने पंचायत के आसपास स्थित सरकारी दफतरों में भी इसी तरह का अभियान चलाया था।

केस स्टडी – 2

शिमला जिले की पंचायत ने 'चिट्टा' और उसके उपयोगकर्ताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है

शिमला जिले के जुब्बल और कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की एक छोटी सी पंचायत झड़ग ने क्षेत्र में सक्रिय ड्रग तस्करों के बारे में जानकारी देने वाले लोगों को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव लाया है। ऐसे समय में जब नशीली दवाओं की लत बढ़ रही है, झरग के ग्रामीणों ने हेरोइन और अन्य पदार्थो से बनी अत्यधिक नशे की लत वाली सिंथेटिक दवा 'चिट्टा' के खिलाफ यद्ध छेड़ दिया है।

शिमला जिले के जुब्बल और कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में झड़ग की पंचायत ने क्षेत्र में सक्रिय ड्रग तस्करों के बारे में जानकारी देने वाले लोगों को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव लाया है। इसकी आबादी लगभग 1,800 है। पंचायत में पांच गांव शामिल हैं।

ग्राम पंचायत प्रधान श्री अशोक सारता ने बताया कि ''काफ़ी समय से आस-पास के इलाकों से नशीली दवाओं के तस्करों के बारे में खबरें आ रही हैं जो हमारी पंचायत के युवाओं को नशीली दवाएं खरीदने के लिए लुभाने की

कोशिश कर रहे हैं। कुछ अज्ञात वाहन जो स्थानीय लोगों के नहीं हैं वे भी गांवों में बार-बार आ रहे हैं।'' उन्होंने यह भी कहा कि नशीली दवाओं की लत निश्चित रूप से चिंता का कारण है।

'पंचायत ने नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने और आस-पास के गांवों और पंचायतों के तस्करों को बेनकाब करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया'। ''पंचायत नशीली दवाओं के तस्करों के बारे में जानकारी देने वालों को पुरस्कृत करेगी। हमने नशेड़ियों के साथ-साथ स्थानीय तस्करों और आपूर्तिकर्ताओं पर नजर रखने के लिए विभिन्न वार्डो के किशोरों की एक टीम भी बनाई है ताकि नशे की कुरीति को रोका जा सके।''

राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली दवाओं का उपयोग कई गुना बढ़ गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली में नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में चरस और गांजा के उपयोग का प्रचलन 1.2% है, जबकि यह राष्ट्रीय औसत 3.2% से अधिक है। हिमाचल प्रदेश में. इसी तरह, ओपिओइड का उपयोग पंजाब में 2.8%, हरियाणा में 2.5%, दिल्ली में 2% और हिमाचल प्रदेश में 1.7% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 0.7% है।

लेकिन हाल के वर्षो में एक खतरनाक प्रवृत्ति उपयोगकर्ताओं का रासायनिक दवाओं की ओर स्थानांतरित होना है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के 27 नशा मुक्ति केंद्रों में लगभग 1,170 मरीज (नशा उपयोगकर्ता) भर्ती हैं। चिट्टा (जिसे डायएसिटाइलम र्फिन भी कहा जाता है, जो हेरोइन का अर्ध-सिंथेटिक मिलावटी रूप है) के आदी लोगों की संख्या भांग (चरस) और अन्य नशीली दवाओं से अधिक हो गई है क्योंकि केंद्रों में 34.61% नशेड़ी चिट्टा उपभोक्ता हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक चिंता का एक और बड़ा कारण यह है कि नशे की लत के शिकार लोगों की सबसे ज्यादा संख्या 15-30 साल के आयु वर्ग में है। ''युवाओं के बीच सिंथेटिक दवाओं की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य के प्रमुख संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख दिनेश शर्मा ने कहा, न केवल लड़के, बल्कि लड़कियां भी नशे की शिकार हो रही हैं। अस्पताल शनिवार को नशे के आदी लोगों के लिए एक विशेष आउटडोर रोगी विभाग (ओपीडी) चलाता है। उन्होंने कहा-''युवाओं में, विशेषकर 17 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में इंजेक्शन से नशीली दवाओं का उपयोग करने का चलन बढ़ रहा है।'' उन्होंने कहा कि इससे हेपेटाइटिस सी जैसी लीवर संबंधी बीमारियों में भी वृद्धि हो रही है।

अवैध नशीली दवाओं के व्यापार में वृद्धि के साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस ने तस्करों को पकड़ने और नशेड़ियों पर नज़र रखने के लिए अपनी रणनीति फिर से तैयार की थी। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत नशेड़ियों और अपराधियों पर नज़र रखने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों में रजिस्टर 29 जोड़ा। संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारी (SHO) रजिस्टर बनाए रखते हैं और मादक पदार्थो की तस्करी के विश्लेषण और बेहतर रोकथाम के लिए एक डेटाबेस बनाते हैं। नशीली दवाओं की लत और तस्करी का प्रचलन 26 से 35 वर्ष की आयु के लोगों में अधिक है जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत बुक किए गए कुल लोगों का 37% हैं।

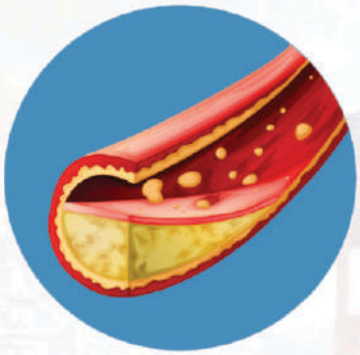

धमनियों में वसा का जमाव

मस्तिष्क में नुकसान

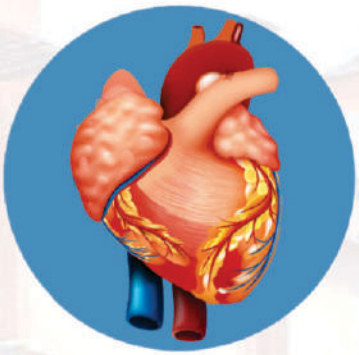

दिल का दौरा

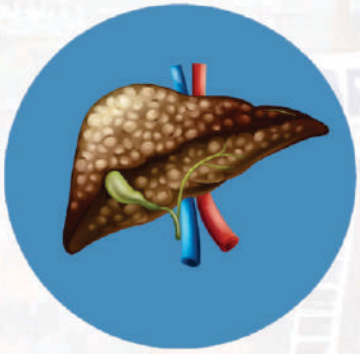

सिरोसिस (यकृत क्षति)

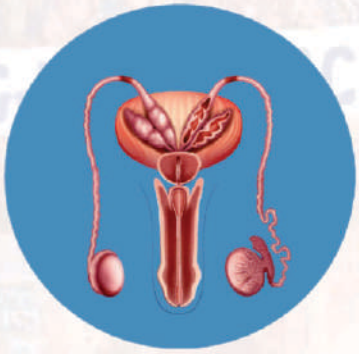

प्रजनन तंत्र में विकार

अग्नाशय की सूजन

फेफड़े का कैंसर

आमाशय का कैंसर

दांतों का सड़ना